सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 04, अंक 217, नई दिल्ली, बुधवार 11 नवम्बर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र



03 भाई दूज आज: बहनें लगाएंगी भाई के माथे पर तिलक, दीर्घायु और रक्षा की करेंगी कामना

06 पत्रकारिता सम्मान और स्वाभिमान की होनी चाहिए, गुलामी की नहीं

08 झारखंड में सीआईएसएफ ने 13.845 टन अवैध कोयला किया जब्त

दिल्ली में ई-रिक्शा निर्माताओं द्वारा निर्मित वाहन टाइप अप्रूवल के अनुसार नहीं - कौन है जिम्मेदार ?

सवारी और लोडर का फर्क मिटा, लो-स्पीड के नाम पर तेज़ दोपहिया - पंजीकरण, फिटनेस और प्रवर्तन पर बड़े सवाल

लेखक : संजय कुमार बाठला

मुख्य तथ्य - एक नज़र में

- टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट क्या है ? - किसी वाहन मॉडल के डिजाइन, सुरक्षा, उत्सर्जन/इलेक्ट्रिक मानकों के अनुरूप होने का आधिकारिक प्रमाणन

- सवारी ई-रिक्शा की मान्य सीमा: चालक + 4 यात्री

- कार्गो / लोडर ई-रिक्शा: केवल सामान ढुलाई के लिए, सवारी के लिए नहीं

- लो-स्पीड ई-दोपहिया की मान्य सीमा: 250 वॉट तक मोटर, अधिकतम 25 किमी/घंटा गति, तभी लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन से छूट

- लेखक का आरोप: दिल्ली में 60% से अधिक ई-रिक्शा/ई-लोडर अप्रूवल के अनुसार नहीं, फिर भी फिटनेस और पंजीकरण जारी हो रहा है

- लेखक की मांग: नियम विरुद्ध निर्माताओं, डीलरों और पंजीकरण करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, ऐसे वाहनों को बंद करने के आदेश

> संपादकीय स्पष्टीकरण: इस लेख में निर्माताओं, डीलरों और विभाग के बारे में लगाए गए आरोप लेखक के हैं। परिवहन विभाग, जांच एजेंसियों या न्यायालय की ओर से इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस लेख में नहीं है।

1. टाइप अप्रूवल क्या है - और क्यों है इतना महत्वपूर्ण ? आपकी जानकारी के लिए बता दें टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट एक प्रकार से अनुमोदन / प्रमाणन योजना है। इसका उद्देश्य क्रेता का विश्वास बढ़ाना और यह आश्वासन देना है कि उत्पाद दस्तावेज समीक्षा, डिजाइन और प्रमाणन की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों / कोड और नियमों के अनुरूप है।

भारत में कोई भी वाहन मॉडल सड़क पर उतरने से पहले इस प्रक्रिया से गुजरता है।

प्रक्रिया संक्षेप में:

1. निर्माता वाहन का प्रोटोटाइप बनाता है

2. सरकार द्वारा अधिकृत जांच एजेंसी - ARAI (पुणे), ICAT (मानेसर), CIRT आदि - उसकी जांच करती है

3. जांच में ब्रेक, संतुलन, बैटरी, मोटर, लाइट, हॉर्न, सीटिंग, भार क्षमता, गति आदि देखे जाते हैं

4. संतुष्ट होने पर टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी होता है

5. इसके बाद राज्य परिवहन विभाग स्टेट अप्रूवल देता है, तभी उस मॉडल का पंजीकरण हो सकता है

मतलब साफ है: जो वाहन अप्रूवल में पास हुआ, वही डिजाइन बाजार में बेचा जा सकता है। अप्रूवल से अलग डिजाइन बेचना नियम विरुद्ध है।

2. दिल्ली में क्या हो रहा है - लेखक का आरोप लेखक के अनुसार दिल्ली में बिक्री के लिए उपलब्ध ई-रिक्शे, ई-लोडर और नियम के अनुसार पंजीकरण नहीं होने वाले दोपहिया सवारी वाहन, भारत सरकार द्वारा अधिकृत जांच एजेंसियों द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र और दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी स्टेट अप्रूवल / टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट के आधार पर निर्मित नहीं हैं।

इसके बाद भी दिल्ली परिवहन विभाग की पंजीकरण शाखाएं ऐसे वाहनों को पंजीकृत कर रही हैं, जिससे दिल्ली की सड़कों पर चल रही जनता का जीवन असुरक्षित हो रहा है - ऐसा लेखक का आरोप है।

लेखक का सवाल है - दिल्ली की सड़कों पर इस प्रकार के वाहनों के आने से होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा ? *क्या परिवहन विभाग ?

ई-रिक्शा में अवैध बदलाव का ट्रेंड:

- पीछे अतिरिक्त सीट लगाकर यात्रियों और सामान दोनों को साथ ले जाना

- सवारी ई-रिक्शा को लोडर जैसा बनाना, लोडर को सवारी जैसा बनाना

- सीट, छत, बैटरी बॉक्स, चेसिस में बदलाव

नियम स्पष्ट कहते हैं:

- सवारी ई-रिक्शा केवल 4 यात्रियों + 1 चालक के लिए मान्य है

- कार्गो / लोडर ई-रिक्शा केवल सामान ढुलाई के लिए रजिस्टर्ड होता है

इसके बावजूद अतिरिक्त सीट लगाकर इन नियमों को तोड़ा जा रहा है - लेखक का दावा है।

3. अतिरिक्त सीट क्यों है खतरनाक ?

- तकनीकी पक्ष अतिरिक्त भार डालने से वाहन का संतुलन बिगड़ जाता है।

1. ब्रेकिंग पर असर: वजन बढ़ने से ब्रेक की दूरी बढ़ जाती है, ब्रेक फेल की आशंका बढ़ती है

2. बैटरी और मोटर पर दबाव: ओवरलोड से बैटरी गर्म होती है, मोटर जलने और आग लगने का खतरा

3. टर्निंग में पलटने का खतरा: ई-रिक्शा का गुरुत्व केंद्र पहले ही ऊंचा होता है, अतिरिक्त सवारी से पलटने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है

4. बीमा और मुआवजा: अप्रूवल से अलग वाहन दुर्घटना में बीमा कंपनी दावा खारिज कर सकती है, पीड़ित को मुआवजा नहीं मिलता

यही वजह है कि मोटर वाहन नियम के अनुसार परिवहन विभाग की स्वीकृति के बिना किसी भी तरह का डिजाइन या सीटिंग बदलाव गैर-कानूनी है।

4. लो-स्पीड ई-दोपहिया - सबसे बड़ा भ्रम देखने में आ रहा है सिर्फ ई-रिक्शा ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में भी कई निर्माता गलत रास्ता अपना रहे हैं।

मानक के अनुसार:

- लो-स्पीड ई-दोपहिया केवल 250 वॉट मोटर और 25 किमी/घंटा की रफ्तार तक ही मान्य हैं

- इन वाहनों के लिए न तो लाइसेंस की जरूरत होती है और न ही रजिस्ट्रेशन

हकीकत - लेखक का आरोप:

- बाजार में कई कंपनियां 250 वॉट से ज्यादा क्षमता वाली मोटर लगाकर इन्हें लो-स्पीड के नाम से ही बेच रही हैं

- नतीजा सड़क पर बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हेलमेट तेज रफ्तार वाले दोपहिया दौड़ रहे हैं, जो दुर्घटनाओं को दावत देने के बराबर है

इससे क्या होता है ?

- बिना नंबर प्लेट वाला वाहन पकड़ में नहीं आता, दुर्घटना करके भाग जाता है

- बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस के नाबालिग भी चला रहे हैं

- नियम मानने वाला निर्माता महंगा हो जाता है, नियम तोड़ने वाला सस्ता - ईमानदार निर्माता संकट में

5. कानून, नियम, अधिनियम - क्या कहता है कानून ?

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संशोधित 2019)

- धारा 39 - बिना पंजीकरण वाहन नहीं चलेगा

- धारा 52 - वाहन में बदलाव (Alteration) - RTO की पूर्व अनुमति के बिना इंजन, चेसिस, सीटिंग, बॉडी में बदलाव गैरकानूनी

- धारा 53 - नियम विरुद्ध वाहन का पंजीकरण निलंबित / रद्द किया जा सकता है

- धारा 56 - फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य

- धारा 177, 179, 190, 192 - नियम उल्लंघन पर जुर्माना, वाहन जब्ती

- धारा 182A - निर्माता / डीलर द्वारा नियम विरुद्ध वाहन बेचने पर दंड

2. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989

- नियम 126 - टाइप अप्रूवल - हर मॉडल को अधिकृत एजेंसी से प्रमाणन अनिवार्य

- नियम 126A - प्रोटोटाइप की जांच, CMVR के अनुरूपता

- नियम 115 - उत्सर्जन / इलेक्ट्रिक वाहन मानक

- नियम 122 - बैटरी, इलेक्ट्रिक सुरक्षा मानक



3. ई-रिक्शा के लिए विशेष नियम

- GSR 709 (E), 2014 और बाद के संशोधन - ई-रिक्शा और ई-कार्ट को मोटर वाहन के रूप में मान्यता, अधिकतम गति 25 किमी/घंटा, मोटर क्षमता 2000 वॉट तक, सवारी 4+1

- दिल्ली ई-रिक्शा नीति / परिवहन विभाग के आदेश - स्टेट अप्रूवल के बिना बिक्री-पंजीकरण नहीं

4. भारतीय मानक / AIS मानक

- AIS-039, AIS-040, AIS-048 - इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी सुरक्षा, चार्जर मानक

- AIS-038 - बैटरी सुरक्षा, थर्मल रनअवे से बचाव

5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

- गलत जानकारी देकर वाहन बेचना अनुचित व्यापार प्रथा, उपभोक्ता आयोग में शिकायत, मुआवजा

6. भारतीय न्याय संहिता, 2023

- धारा 125, 106 - लापरवाही से वाहन चलाने, दुर्घटना में मृत्यु/चोट पर दंड

6. फिटनेस प्रमाणपत्र - हवा-हवाई में जारी हो रहा है ? - बड़ा सवाल लेखक का सबसे गंभीर आरोप यह है:

> दिल्ली में 4 पहिया वाहनों को 3 पहिया वाहन में जांचने के बाद जारी होते हैं वाहन जांच प्रमाणपत्र। ई-रिक्शे और ई-लोडर जो सड़कों पर उपलब्ध हैं उनमें से 60% से अधिक भारत सरकार द्वारा जारी वाहन पंजीकरण के अप्रूवल के अनुसार नहीं हैं। पर हर साल मिल रही है फिटनेस वाहन जांच प्रमाणपत्र, आखिर कैसे ?

फिटनेस का मतलब क्या है ?

फिटनेस प्रमाणपत्र का अर्थ है कि वाहन सड़क पर चलने लायक है - ब्रेक, लाइट, टायर, बैटरी, बॉडी सब ठीक है।

अगर फिटनेस बिना जांच के मिल रही है, तो:

- सड़क पर असुरक्षित वाहन आ जाएंगे

- दुर्घटना में बीमा और मुआवजा फंस जाएगा

- परिवहन विभाग की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी

लेखक का सवाल: परिवहन आयुक्त एवं विशेष परिवहन आयुक्त की जानकारी में होने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं ?

संपादकीय मत: यह आरोप गंभीर है, इसलिए इसकी जांच वाहन पोर्टल के डेटा, टाइप अप्रूवल सूची और फिटनेस रिकॉर्ड के मिलान से होनी चाहिए। आरोप सही है या नहीं, यह डेटा बताएगा, बयान नहीं।

7. ई-रिक्शा - रोजी-रोटी भी, सुरक्षा भी भारत में ई-रिक्शा ने पिछले एक दशक में सस्ते और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के तौर पर अपनी जगह बना ली है। लाखों परिवारों की रोजी-रोटी भी इस पर निर्भर है। शहरों और कस्बों में छोटे सफर के लिए यह सबसे आसान और सस्ता विकल्प बन चुका है।

यही वजह है कि ई-रिक्शा इंडस्ट्री को हरित क्रांति और शहरी गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है।

लेकिन नियमों की अनदेखी से सुरक्षा, भरोसा और इंडस्ट्री का भविष्य तीनों गहरी चोट खा रहे हैं।

नियम मानने वाले निर्माता क्यों परेशान हैं ?

- अवैध मॉडल बाजार में सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध हैं

- ग्राहक सस्ता देखकर अवैध मॉडल खरीद लेता है

- ईमानदार निर्माता का वाहन महंगा लगता है, बिक्री घटती है

कुछ निर्माताओं के अल्पकालिक लाभ के लालच में इंडस्ट्री के वह निर्माता जो नियमों का पालन करते हुए वाहन निर्माण कर रहे हैं, संकट में आ रहे हैं।

8. लेखक के दो बड़े सवाल - और संपादकीय जवाब

सवाल 1: गैर-कानूनी बदलाव के साथ निर्मित वाहनों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करने की जगह उन्हें पंजीकृत किस आधार पर कर रहा है ?

संभावित कारण:

- वाहन पोर्टल पर मॉडल का नाम एक, जमीन पर वाहन दूसरा - भौतिक सत्यापन कमजोर

- डीलर स्तर पर बदलाव, पंजीकरण के बाद बदलाव - पकड़ नहीं

- प्रवर्तन शाखा और पंजीकरण शाखा में तालमेल नहीं

सवाल 2: आखिर परिवहन विभाग नियमों को लागू करने के लिए कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा ?

संभावित कारण:

- मैनपावर की कमी, दिल्ली में लाखों ई-रिक्शा, जांच टीम कम

- राजनीतिक दबाव - ई-रिक्शा चालक बड़ी वोट बैंक

- निर्माता-डीलर लॉबी का दबाव

लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। कानून में कार्रवाई का पूरा अधिकार है - पंजीकरण रद्द, वाहन जब्ती, निर्माता का अप्रूवल रद्द करने की सिफारिश, FIR।

9. जनहित में 7 मांग - परिवहन विशेष की ओर से

लेखक की मांग के आधार पर:

1. टाइप अप्रूवल मिलान अभियान: वाहन पोर्टल पर हर ई-रिक्शा मॉडल का टाइप अप्रूवल नंबर, फोटो, सीटिंग क्षमता सार्वजनिक हो। जो मॉडल अप्रूवल से अलग है, उसकी बिक्री तुरंत रोकी जाए।

2. भौतिक सत्यापन अनिवार्य: पंजीकरण और फिटनेस से पहले वाहन की फोटो, चेसिस, बैटरी, सीटिंग का वीडियो रिकॉर्ड हो, वाहन पोर्टल पर अपलोड हो।

3. डीलर पर कार्रवाई: नियम विरुद्ध वाहन बेचने वाले डीलर का लाइसेंस निलंबित हो, धारा 182A के तहत जुर्माना।

4. निर्माता पर कार्रवाई: बार-बार नियम तोड़ने वाले निर्माता के अप्रूवल को रद्द करने के लिए ARAI / ICAT / MoRTH को रिपोर्ट भेजी जाए।

5. प्रवर्तन अभियान: प्रवर्तन शाखा, दिल्ली परिवहन विभाग और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से ऐसे वाहनों को नियम के अनुसार धाराएं लगाकर बंद करें, लेकिन चालक के साथ मानवीय व्यवहार हो, रोजी-रोटी का विकल्प भी बताया जाए।

6. ग्राहक जागरूकता: ग्राहकों को याद रखना होगा - सवारी ई-रिक्शा और लोडर / कार्गो ई-रिक्शा अलग-अलग श्रेणियां हैं, अलग-अलग कार्यों के लिए हैं। लो-स्पीड ई-दोपहिया केवल 250 वॉट तक ही सुरक्षित और वैध है। खरीदने से पहले टाइप अप्रूवल, स्टेट अप्रूवल, बीमा जांचें।

7. फिटनेस में पारदर्शिता: फिटनेस सेंटर पर CCTV, ऑनलाइन फिटनेस, ऑडिट - फिटनेस हवा-हवाई में जारी हो, यह व्यवस्था बंद हो।

10. संपादकीय निष्कर्ष यह बात सच है कि ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक दोपहिया ने भारत में ग्रीन मोबिलिटी का सपना साकार किया है।

लेकिन नियम को दरकिनार कर निर्मित वाहनों को सड़कों पर चलने देने और चलवाने वाले परिवहन विभाग और गलत वाहन बनाकर बेचने वाले निर्माताओं के कारण सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं और जान-माल के नुकसान की भरपाई की कीमत ग्रीन मोबिलिटी के नाम से नहीं हो सकती।

ग्रीन मोबिलिटी तभी सार्थक है, जब वह सेफ मोबिलिटी भी हो। दिल्ली परिवहन विभाग को तत्काल प्रभाव से नियमों के अनुसार वाहन न बनाने वाले निर्माताओं, उन्हें बेचने वाले वाहन डीलरों और उनके पंजीकृत करने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए - यही जनता की सुरक्षा की मांग है।

जनता की सुरक्षा से बड़ा कोई राजस्व नहीं, कोई प्रदूषण का बहाना नहीं, कोई वोट का गणित नहीं।

- लेखक : संजय कुमार बाठला

- संपादकीय विभाग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

दिवाली पर दिल्लीवालों ने जमकर की वाहन खरीदारी - उत्साह या प्रदूषण और जाम की मार ?

धनतेरस-दिवाली पर 25,482 वाहन पंजीकृत, दोपहिया 74% - सरकार की कमाई बढ़ी, सड़क और हवा पर बोझ भी बढ़ा

संवैधानिक अधिकार, न्यायिक आदेश और कानूनों के आईने में विस्तृत विश्लेषण

मुख्य तथ्य - सत्यापित आंकड़े - तथ्य - विवरण

धनतेरस-दिवाली पर कुल पंजीकरण 25,482 वाहन

दोपहिया वाहन 18,898

कारें 6,230

अक्टूबर + 8 नवंबर तक कुल करीब 1.26 लाख वाहन

अक्टूबर 2026 अकेले 91,153 वाहन, इस साल का सबसे अधिक मासिक आंकड़ा

अक्टूबर में दोपहिया हिस्सेदारी 64,201 यानी 70.4%

अक्टूबर में EV पंजीकरण 13,296, पिछले साल से 50.7% अधिक

धनतेरस और दीवाली के अवसर पर दिल्ली में कुल 25,482 वाहन पंजीकृत हुए, जिनमें 18,898 दोपहिया और 6,230 कारें शामिल हैं। अक्टूबर में 91,153 वाहन पंजीकृत हुए, जो इस साल का सबसे अधिक मासिक आंकड़ा है।

महत्वपूर्ण सुधार: कई जगह यह भ्रम फैला है कि 1 जनवरी से दोपहिया का पंजीकरण सिर्फ इलेक्ट्रिक में होगा। सत्य यह है -

- 1 जनवरी 2027 से: सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और N1 गुड्स वाहन का नया पंजीकरण

- 1 अप्रैल 2028 से: सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया का नया पंजीकरण, पेट्रोल-CNG दोपहिया का नया पंजीकरण बंद

दिल्ली EV Policy 2.0 के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो और 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया पंजीकृत होंगे। मौजूदा पेट्रोल वाहन चलते रहेंगे।

1. उत्साह का पक्ष - क्यों खरीदी जनता ने गाड़ियां ? त्योहारों के मौके पर दिल्ली में वाहन खरीदारी का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। धनतेरस को शुभ माना जाता है। इस दिन वाहन खरीदना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

- आर्थिक गतिविधि: शोरूम, डीलर, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस, RTO - सबको काम मिला

- सरकार को राजस्व: मोटर वाहन टैक्स, रोड टैक्स, पंजीकरण शुल्क से करोड़ों की कमाई

- मध्यम वर्ग की आकांक्षा: दोपहिया आज भी दिल्ली की सबसे सस्ती और तेज़ निजी सवारी है। मेट्रो-बस हर गली तक नहीं पहुंचती।

- EV की ओर झुकाव: अक्टूबर में 13,296 EV पंजीकृत हुए, यह दिखाता है कि जनता धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक को भी अपना रही है।

इसलिए सिर्फ खरीदारी को दोष देना ठीक नहीं। वाहन खरीदना नागरिक का कानूनी अधिकार है।

2. चिंता का पक्ष - जाम, प्रदूषण और सड़क सुरक्षा अगर यही स्थिति रहती है तो दिल्ली की सड़कों पर अगले दो महीनों में 1 से 2 लाख दोपहिया और आ सकते हैं - यह आशंका निराधार नहीं है।

क्यों ?

1. EV डेडलाइन का डर: लोग 1 अप्रैल 2028 से पहले पेट्रोल दोपहिया खरीद लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें EV की रेंज, चार्जिंग, बैटरी कीमत और रीसेल वैल्यू पर अभी पूरा विश्वास नहीं है।

2. सड़क की क्षमता सीमित है: दिल्ली में सड़कें नहीं बढ़ीं, वाहन बढ़ते गए।

3. लेन ड्राइविंग का अभाव: दोपहिया चालक अक्सर लेन बदलते हैं, फुटपाथ पर चढ़ते हैं, गलत दिशा में चलते हैं। इससे जाम और दुर्घटना दोनों बढ़ते हैं।

प्रदूषण का सच: GRAP-3 लागू होने पर दिल्ली का AQI 382 यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया था। GRAP-3 में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर रोक लगाई गई, लेकिन दोपहिया इस विशेष रोक में शामिल नहीं हैं। 7029

इसका अर्थ यह नहीं कि दोपहिया प्रदूषण नहीं करते। दोपहिया दिल्ली के कुल पंजीकृत वाहनों का करीब 67% हैं और शीतकालीन प्रदूषण में वाहनों का योगदान करीब 23% माना जाता है।

3. संवैधानिक अधिकार - जनता के पक्ष में क्या कहता है संविधान ?

अनुच्छेद 19(1)(d) - भारत में कहीं भी आने-जाने का अधिकार

अनुच्छेद 19(1)(g) - कोई भी व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार - इसमें वाहन खरीदना, बेचना, चलाना भी शामिल है

अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या - अनुच्छेद 21 में ही शामिल है:

- स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार

- स्वच्छ पानी का अधिकार

- स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है - प्रदूषण रोकना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है, सिर्फ विकल्प नहीं।

अनुच्छेद 48A - राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा

अनुच्छेद 51A(g) - हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे

मतलब: वाहन खरीदना आपका अधिकार है, लेकिन आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं दूसरे के स्वच्छ हवा के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। दोनों अधिकारों में संतुलन ही संविधान की मांग है।

4. कानून, नियम, अधिनियम और राजपत्रित अधिसूचनाएं

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संशोधित 2019)

- धारा 39 - बिना पंजीकरण वाहन नहीं चलेगा

- धारा 56 - फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य

- धारा 190(2) - प्रदूषण मानक का उल्लंघन दंडनीय

- धारा 177, 179, 183, 184 - गलत ड्राइविंग, तेज गति, लेन उल्लंघन, खतरनाक ड्राइविंग पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन

2. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989

- नियम 115 - उत्सर्जन मानक, PUC प्रमाणपत्र

- BS-VI मानक 1 अप्रैल 2020 से लागू

3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वाहनों के उत्सर्जन पर कार्रवाई का अधिकार

4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

- धारा 3, 5 - केंद्र सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश देने की शक्ति, इसी के तहत GRAP बना

5. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (CAQM Act)

- दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के लिए सर्वोच्च संस्था CAQM

- GRAP-1 से GRAP-4 तक चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने का अधिकार

- GRAP-3 में BS-III पेट्रोल, BS-IV डीजल LMV पर रोक, निर्माण पर रोक

6. दिल्ली EV नीति 2.0 (2026-2030)

- 1 जुलाई 2026 से लागू, 31 मार्च 2030 तक वैध

- EV कार (30 लाख तक) पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ

- EV दोपहिया पर पहले साल 30,000 रुपये तक प्रोत्साहन

- 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो, 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया का नया पंजीकरण

7. दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर एवं डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023

- एग्रीगेटर के बेड़े में नए ICE वाहन शामिल करने पर चरणबद्ध रोक

8. न्यायिक आदेश

- सुप्रीम कोर्ट - एम.सी. मेहता मामला: दिल्ली में BS-IV से BS-VI पर सीधा जाना, पुराने वाहनों पर रोक, GRAP का पालन अनिवार्य

- दिल्ली हाईकोर्ट: लेन ड्राइविंग, ट्रैफिक नियम पालन, सड़क सुरक्षा पर कई बार निर्देश, लेकिन जमीनी पालन कमजोर

- NGT - राष्ट्रीय हरित अधिकरण: 10 साल से पुराने डीजल, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली में रोक का आदेश, जो आज भी लागू है



5. लेन ड्राइविंग - सबसे बड़ी चूक कहां है ?

आपका सवाल सही है - दिल्ली में लेन ड्राइविंग की कोशिश क्यों नहीं हो रही ?

कानून है, पालन नहीं है:

- मोटर वाहन अधिनियम में लेन अनुशासन, सिग्नल, ओवरटेकिंग के स्पष्ट नियम हैं

- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास चालान का अधिकार है

- CCTV और ANPR कैमरे भी लगे हैं

फिर भी क्यों नहीं ?

1. सड़क डिजाइन: कई जगह लेन मार्किंग ही नहीं है, बस लेन पर कारें खड़ी हैं

2. प्रवर्तन में कमी: चालान सिर्फ कागज पर, मौके पर रोक-टोक कम

3. सार्वजनिक परिवहन की कमी: लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं, इसलिए लोग दोपहिया पर मजबूर हैं

4. राजनीतिक इच्छाशक्ति: सख्ती की तो वोट का डर, ढील दी तो जाम का डर

संपादकीय मत: अगर लेन ड्राइविंग शुरू हो गई तो जाम और दुर्घटनाएं निश्चित रूप से कम होंगी, प्रदूषण भी घटेगा। यह बात सरकार, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट - सभी को पता है। सवाल इच्छाशक्ति का है, कानून का नहीं।

6. क्या प्रदूषण जनता को लूटने का हथियार बन गया है ? - जनहित में संतुलित विश्लेषण

जनता में यह धारणा बन रही है कि प्रदूषण के नाम पर चालान, GRAP प्रतिबंध, PUC, पार्किंग शुल्क बढ़ाकर वसूली हो रही है, लेकिन प्रदूषण का मूल कारण - पराली, धूल, निर्माण, उद्योग, कूड़ा जलाना - जस का तस है।

इस धारणा में आंशिक सत्य है:

- चालान से सरकार को राजस्व मिलता है, लेकिन सड़क नहीं सुधरती

- GRAP में गरीब का पुराना वाहन बंद हो जाता है, लेकिन बड़ी निर्माण साइटें चलती रहती हैं

- PUC सेंटर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हैं

लेकिन पूरा सत्य यह भी है:

- बिना GRAP के दिल्ली की हवा और खराब हो जाती

- वाहन प्रदूषण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

- समाधान सिर्फ चालान नहीं, विकल्प देना है - अच्छी बस, मेट्रो, साइकिल ट्रैक, EV चार्जिंग

प्रदूषण को लूट का हथियार नहीं, जनस्वास्थ्य का मुद्दा बनाना होगा।

7. जनहित में 7 मांग - परिवहन विशेष की ओर से

1. लेन ड्राइविंग मिशन: दिल्ली में 20 प्रमुख कॉरिडोर पर पहले लेन मार्किंग, फिर CCTV चालान, फिर जागरूकता अभियान - 90 दिन में लागू हो

2. EV विश्वास बहाली: हर पेट्रोल पंप पर चार्जिंग, बैटरी स्वैप, 5 साल की बैटरी वारंटी का सरकारी आश्वासन, तभी जनता EV खरीदेगी

3. डेडलाइन में स्पष्टता: सरकार राजपत्र में साफ करे - 1 जनवरी 2027 ऑटो के लिए, 1 अप्रैल 2028 दोपहिया के लिए, भ्रम न फैलाएं

4. सार्वजनिक परिवहन बढ़ाओ: 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें, लास्ट माइल ई-रिक्शा, तभी दोपहिया की जरूरत घटेगी

5. चालान का पैसा सड़क पर लगे: चालान से मिली राशि का 100% सड़क सुधार, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक पर खर्च हो, इसका ऑडिट सार्वजनिक हो

6. PUC और फिटनेस में पारदर्शिता: ऑनलाइन PUC, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई

7. प्रदूषण का समग्र समाधान: सिर्फ वाहन नहीं, पराली, धूल, निर्माण, कूड़ा जलाना - सभी पर एक साथ कार्रवाई, GRAP का पालन सबके लिए बराबर हो

8. संपादकीय निष्कर्ष

दिवाली पर 25,482 वाहनों की खरीदारी उत्साह भी है और चेतावनी भी।

उत्साह इसलिए कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था जिंदा है, जनता में खरीदने की ताकत है।

चेतावनी इसलिए कि अगर सड़क, लेन, सार्वजनिक परिवहन और EV इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरा, तो अगले दो महीनों में 1-2 लाख दोपहिया और आ जाएंगे और दिल्ली हर वक्त जाम में फंसी रहेगी।

संविधान कहता है - वाहन खरीदना अधिकार है, स्वच्छ हवा भी अधिकार है।

कानून कहता है - लेन तोड़ना अपराध है, प्रदूषण फैलाना दंडनीय है।

न्यायालय कहता है - प्रदूषण रोकना सरकार का कर्तव्य है।

अब जरूरत है - सरकार, पुलिस, अदालत और जनता - चारों मिलकर लेन ड्राइविंग को आदत बनाएं, EV को भरोसेमंद बनाएं और प्रदूषण को वसूली का नहीं, स्वास्थ्य का मुद्दा बनाएं।

दिल्ली को जाम और धुएं से नहीं, अनुशासन और स्वच्छ हवा से दिवाली मनानी चाहिए।

- संपादकीय विभाग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक

प्रदूषण से डल हो चुके चेहरे पर निखार लाने के टिप्स : शहनाज़ हुसैन



देश के अधिकतर शहरों के आसमान में धुएं, धूल, एसिड से भरी जहरीली हबा की परत बार बार खतरनाक स्तर को पर कर रही है तथा अनेक शहरों की हवा साँस लेने लायक नहीं रह गई है / प्रदूषण के खतरनाक स्तर पार कर जाने से अनेक शहरों में स्मोग की घनी चादर छाई छाई हुई है जिससे देखने में भी परेशानी का सामना करना पर रहा है / बायु में प्रदूषण आगामी दिनों में बद से बदतर हो सकता है /हालाँकि बायु प्रदूषण से सेहत को होने बाले नुकसान के बारे में ज्यादातर लोग जागरूक हैं लेकिन बायु प्रदूषण से बालों, त्वचा, चेहरे की सुन्दरता पर पड़ने बाले खतरनाक प्रभाव से कम ही लोग बाक़फ़ि हैं / वायु में बढ़ते प्रदूषण से न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है लेकिन उससे आपकी खूबसूरती पर भी ग्रहण लगता है

शहरो में बढ़ते बायु प्रदूषण से आपको फेफड़ों के रोगों के अलाबा समय से पहले बुढ़ापा, पिगमेंटेशन, त्वचा के छिद्रों में ब्लॉकेज आदि अनेक सौन्दर्य समस्यायें खड़ी हो जाती हैं / ज्यादातर भारतीय शहरों में बाहनों, एयर कण्डीशन, धुल, धुएं आदि से आसमान में बनने बाली जहरीली धुंद की चादर से माइक्रोस्कोपिक केमिकल्स की एक परत बन जाती है जिसके कण हमारे छिद्रों के मुकाबले 20 गुणा ज्यादा पतले होते है जिसकी बजह से बह हमारी बाह्री त्वचा से हमारे छिद्रों में प्रवेश कर के त्वचा की नमी को ख़तम कर देते हैं जिससे त्वचा में लालिमा, सूजन, काले दाग, त्वचा में लचीलेपन में कमी, आ जाती हैं जिससे त्वचा निर्जीव, शुष्क, कमजोर एवं बुझी बुझी सी हो जाती है / वायु में विद्यमान रसायनिक प्रदूषण त्वचा तथा खोपड़ी के सामान्य सन्तुलन को बिगाड़ देते है जिससे त्वचा में रूखापन, संवेदनहीनता लाल चकत्ते, मुहांसे तथा खुजली एवं अन्य प्रकार की एलर्जी एवं बालों में रूसी आदि की समस्यायें उभर सकती है।

लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप प्रदूषण से कभी छुटकारा नहीं पा सकते लेकिन अच्छी खबर यह है की आप प्रदूषण से सौन्दर्य को होने बाले नुकसान को काम कर सकते हैं /

आर्युवैदिक घरेलू उपचार तथा प्राचीन औषद्यीय पौधो को मदद से प्रदूषण के सौंदर्य पर पढ़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह रोका जा सकता है तथा आपका सौन्दर्य सामान्य रूप से निखरा रह सकता है। प्राचीन औषधिय पौधों को घर में लगाने से वायु में विषैले तत्वों को हटाकर वायु को स्वच्छ रखा जा सकता है क्योंकि यह पौधे वातावरण में विद्यमान हानिकारक गैसों को सोखकर घर में वातावरण को शुद्ध कर देते है। वायु प्रदूषण का सबसे खतरनाक असर त्वचा पर पड़ता है क्योंकि प्रदूषण के विषैले तत्व त्वचा पर सीधा प्रहार करके त्वचा में विषैले पदार्थो का जमाव कर देते है।

वास्तव में यह विषैले पदार्थ त्वचा में खुजली के प्रभावकारी कारक होते है। वायु में विद्यमान विषैले पदार्थो का सौंदर्य पर दीघकालीन तथा अल्पकालीक प्रभाव पड़ता है त्यौहारों एवं समारोहो में चलाये. जाने वाले पटाखों तथा अतिषबाजी से भी वायु में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं जिससे त्वचा में खुजली बढ़ जाती है। वायु में विद्यमान रसायनिक प्रदूषण वातावरण में आक्सीजन को कम कर देते है जिससे त्वचा में समय से पूर्व झुर्रिया तथा बुढ़ापे के भाव झलकना शुरू हो जाते है। प्रदूषण की वजह से त्वचा पर जमे मैल, गन्दगी तथा रसायनिक तत्वों से छुटकारा प्रदान करने के लिए त्वचा की सफाई अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आपकी त्वचा शुष्क है तो आपको क्लीजिंग क्रीम तथा जैल का प्रयोग करना चाहिए जबकि तैलीय त्वचा में क्लीनिंग दूध या फेशवाश का उपयोग किया जा सकता है।



सौंदर्य पर प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए चन्दन, यूकेलिप्टस, पुदीना, नीम, तुलसी, घृतकुमारी जैसे पदार्थो का उपयोग कीजिए। इन पदार्थो में विषैले तत्वों से लड़ने की क्षमता तथा बलवर्धक गुणों की वजह से त्वचा में विषैले पदार्थो के जमाव तथा फोडे, फुन्सियों को साफ करने में मदद मिलती है। वायु प्रदूषण खोपड़ी पर भी जमा हो जाते है। एक चम्मच सिरका तथा घृतकुमारी में एक अण्डे.को मिलाकर मिश्रण बना लीजिए तथा मिश्रण को हल्के-2 खोपड़ी पर लगा लीजिए। इस मिश्रण को खोपड़ी पर आधा घण्टा तक लगा रहने के बाद खोपड़ी को ताजे एवं साफ पानी से धो डालिए। आप वैकल्पिक तौर पर गर्म तेल की थैरापी भी दे सकते है। नारियल तेल को गर्म करके इसे सिर पर लगा लीजिए। अब गर्म पानी में एक तौलिया डुबोइए तथा तौलिए से गर्म पानी निचोडने के बाद तौलिए को सिर के चारों ओर पगड़ी की तरह बांध कर इसे पांच मिनट तक रहने दीजिए तथा इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराईए। इस प्रक्रिया से बालों तथा खोपड़ी पर तेल को सोखने में मदद मिलती है। इस तेल को पूरी रात सिर पर लगा रहने दे तथा सुबह ताजे ठण्डे पानी से धो डालिए।

प्रदूषण से जंग में पानी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है / इस दौरान आप ताजे, स्वच्छ जल का अधिकतम उपयोग कीजिये क्योंकि पानी शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकलने तथा कोशिकाओं को पौष्टिक पदार्थों को बनाये रखने में मदद करता है / प्रदूषण की बजह से त्वचा को हुए नुकसान की भरपाई पानी से आसानी से की जा सकती है / ओमेगा 3 तथा ओमेगा 6 फैटी एसिड्स त्वचा को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाने में अहम भूमिका अदा करते है / फैटी एसिड्स त्वचा में आयल शील्ड बना देते हैं जिससे त्वचा को अल्ट्रा वायलेट किरणों से होने बाले नुकसान से सुरक्षा प्राप्त होती है /

ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बर्फीले पहाड़ों की नदियों में पाए जाने बाली मछली, अखरोट, राजमा, तथा पालक में प्रचूर मात्रा में मिलता है जबकि ओमेगा 6 चिकन, मीट, खाद्य तेलों, अनाज तथा खाद्य बीजों में पाया जाता है

वायु में प्रदूषण तथा गन्दगी से आंखों में जलन तथा लालिमा आ सकती है। आंखों को ताजे पानी से बार-2 धोना चाहिए। काटनवूल पैड को ठण्डे गुलाब जल या ग्रीन-टी में डुबोइए तथा इसे आंखों में आई पैड की तरह प्रयोग कीजिए। आंखों में आई पैड लगाने के बाद जमीन में गद्दे पर 15 मिनट तक आराम में शवआशन की मुद्रा में लेट जाइए। इससे आंखों में थकान मिटाने में मदद मिलती है तथा आंखों में चमक आती है।

वायु में प्रदूषण से शहरों में रहने वाले नागरिको के स्वास्थ्य तथा तन्दरूसती पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आजकल हम अत्याधिक प्रदूषण स्तर को झेल रहे है जिससे सांस तथा फेफड़ों की बीमारी सामान्य बन गई है। घर के अन्दर प्रदूषित हवा से सिरदर्द, आखें में जलन जैसी बिमारियां घर कर रही है। वास्तव में सरकारी तथा वैज्ञानिक संगठनों का मुख्य लक्ष्य वर्तमान में विद्यमान प्रदूषण के उच्च स्तर को सामान्य स्तर तक लाना है जिसे हम कुछ औषधीय पौधों को मदद से प्राप्त कर सकते है। इन पौधों में एलोवेरा सबसे लाभदायक माना जाता है जो कि सामान्यतः सभी भारतीय घरों में आसानी से देखा जा सकताहै। यह घरों में आक्सीजन को प्रवाह को तेज करता है तथा प्रदूषण के प्रभाव को कम करता है। यह कार्बनडायक्साईड तथा कार्बन मोनोआक्सीईड को सोख कर आक्सीजन को वातावरण में छोड़ता है।

इसके अलावा अंजीर, बरगद, पीपल का वृक्ष स्पाईडर प्लांट भी हवा को साफ करने में काफी सहायक माना जाता है क्योंकि यह हवा में विद्यमान जहरीले तत्वों को सोख लेते है। इसके अलावा सान्सेवीरिया जिसे सामान्य भाषा में स्नेक प्लान्ट कहा जाता है भी वायु प्रदूषण को रोकने तथा ताजा स्वच्छ हवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्नेक प्लांट को सामान्य बैडरूम में रखा जाता है तथा इसकी देखभाल भी काफी आसान तथा सामान्य है। इसके अलावा ऐरेका पाम, इंग्लिश आईवी, वोस्टनफर्न तथा पीस लिलो जैसे पौधे भी भारत में आसानी से मिल जाते है तथा पर्यावरण मित्र माने जाते है।

-लेखिका अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य विशेषज्ञ है तथा हर्बल क्वीन के नाम से लोकप्रिय है।

लंबे समय तक मसूड़ों की बीमारी (Periodontitis) को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है!!!!



क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक रहने वाली मसूड़ों की बीमारी का संबंध मुंह के कैंसर (Oral Cancer) के बढ़ते जोखिम से भी पाया गया है?

पेरियोडोंटाइटिस (Periodontitis) मसूड़ों की एक गंभीर और लंबे समय तक रहने वाली सूजन एवं संक्रमण संबंधी बीमारी है। इसमें दांतों के आसपास के मसूड़े, हड्डियां और उन्हें सहारा देने वाले ऊतक धीरे-धीरे प्रभावित होने लगते हैं।

यदि समय पर उपचार न किया जाए, तो इसके कारणः

* मसूड़ों में लगातार सूजन, लालिमा और खून आना।
* मुंह से दुर्गंध (Bad Breath) आना।
* मसूड़ों का सिकुड़ना और दांतों की जड़ें दिखाई देना।
* दांतों का हिलना और अंततः गिरना।
* दांतों को सहारा देने वाली हड्डियों का क्षरण होना।

क्या इसका संबंध Oral Cancer से है?

कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में लंबे समय तक रहने वाली Periodontitis और Oral Cancer के बीच संबंध पाया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार, लगातार सूजन, हानिकारक बैक्टीरिया और मुंह के वातावरण में होने वाले बदलाव इस संबंध में संभावित भूमिका निभा सकते हैं।

मुंह के कैंसर के चेतावनी संकेत

निम्नलिखित लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिएः

* मुंह में ऐसा छाला जो दो सप्ताह में ठीक न हो।
* जीभ, गाल या मसूड़ों पर सफेद अथवा लाल धब्बे।
* मुंह में गांठ, असामान्य सूजन या कठोरपन।
* बिना स्पष्ट कारण मुंह से खून आना।
* निगलने, चबाने या मुंह खोलने में परेशानी।
* जीभ या मुंह के किसी हिस्से में लगातार सुन्नपन।

ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत योग्य डेंटिस्ट या ओरल मेडिसिन विशेषज्ञ से जांच करवाएं।

बचाव के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

* प्रतिदिन सुबह और रात को फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से ब्रश करें।
* दांतों के बीच की सफाई फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश से करें।
* नियमित रूप से डेंटिस्ट से दांतों और मसूड़ों की जांच करवाएं।
* तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और सुपारी से पूरी तरह दूर रहें।
* शराब, कोल्ड ड्रिंक्स और धूम्रपान से बचें।
* मसूड़ों में सूजन या खून आने पर स्वयं दवाइयां लेने के बजाय उचित उपचार करवाएं।
* आवश्यकता के अनुसार प्रोफेशनल स्केलिंग और Periodontal Treatment करवाएं।

याद रखिएः स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत और स्वच्छ मुंह केवल सुंदर मुस्कान के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर पाचन, पोषण और जीवन की गुणवत्ता के लिए भी आवश्यक हैं।

स्वस्थ दांत – स्वस्थ मसूड़े – स्वस्थ जीवन।

प्रदूषण की मार बढ़ती स्वास्थ्य आपदा, जानें कैसे रखें अपना और अपनों का ख्याल



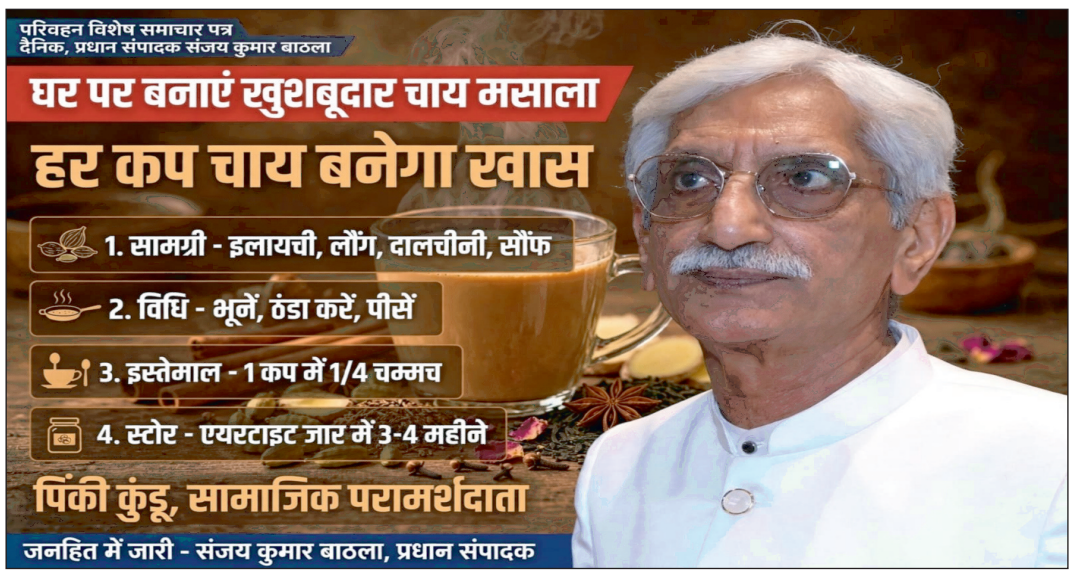
परिवहन विशेष न्यूज

गोरखपुर। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण अब केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य आपदा बन चुका है। जहरीली हवा के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ, हृदय संबंधी बीमारियाँ और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

डा रुप कुमार बनर्जी होमियोपैथिक चिकित्सक ने बताया कि हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों के रास्ते खून में मिलकर ब्लड प्रेशर और दिल के दौरे का खतरा बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही दमा (Asthma), ब्रोंकाइटिस, आँखों में जलन और गले में खराश की समस्याएँ आम हो गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, जहरीली गैसों के प्रभाव से थकान, चिड़चिड़ापन और याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक है।

उन्होंने बताया कि बचाव के लिए निम्न उपाय अपनाएं जैसे कि सुबह और देर शाम जब प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक होता है, तब बाहर टहलने से बचें। यदि बाहर जाना अनिवार्य हो, तो N95 या N99 मास्क का ही प्रयोग करें। घर के अंदर मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और एलोवेरा जैसे पौधे लगाएं जो हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं। संभव हो तो एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें। दिन भर गुनगुना पानी पिएं। तुलसी, अदरक, शहद और हल्दी वाले दूध का नियमित सेवन करें (मधुमेह रोगी डॉक्टर की सलाह जरूर लें)। नियमित रूप से भाप (Steam) लें और गर्म पानी से गरारे करें। फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए अनुलोम-विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। डा रुप कुमार बनर्जी ने बताया कि प्रदूषण को कम करने के लिए निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग को प्राथमिकता दें। अपने आसपास कचरा बिल्कुल न जलाएं, क्योंकि यह स्मॉग का सबसे बड़ा कारण है। अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें।

घर पर बनाएं खुशबूदार चाय मसाला (Homemade Tea Masala)



पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता

अब घर पर बनाएं बाजार से भी बेहतर खुशबूदार और स्वादिष्ट चाय मसाला। इसे अपनी रोजाना की चाय में मिलाएं और चाय का स्वाद बढ़ाएं।

सामग्री (Ingredients)

* सूखा गुलाब – 2 टेबलस्पून
* हरी इलायची – कप
* काली मिर्च – 2 टेबलस्पून
* सौंफ – 2 टेबलस्पून
* सौंठ पाउडर – 1 टेबलस्पून
* चक्रफूल – 2 नग
* दालचीनी – 2 टुकड़े (3 इंच के)
* लौंग – 1 टेबलस्पून
* जायफल – 1 नग

बनाने की विधि (Method)

1. मसालों को भूनें सबसे पहले हरी इलायची, काली मिर्च, सौंफ, चक्रफूल, दालचीनी और लौंग को धीमी आंच पर 1–2 मिनट तक हल्का सूखा भून लें, ताकि मसालों की खुशबू अच्छी तरह निकल आए।
2. ठंडा करें भुने हुए मसालों को एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें।
3. मसाला पीसें अब सभी ठंडे मसालों को मिक्सर में डालें। इसमें जायफल डालकर बारीक पाउडर बना लें।
4. गुलाब और सौंठ मिलाएं अंत में सूखे गुलाब की पंखुड़ियां और सौंठ पाउडर डालकर एक बार फिर हल्का पीस लें।
5. स्टोर करें तैयार चाय मसाले को एयरटाइट कांच के जार में भरकर रख दें।

चाय में कैसे इस्तेमाल करें?

* एक कप चाय बनाते समय छोटा चम्मच चाय मसाला डालें।
* दूध, चायपत्ती और चीनी के साथ अच्छी तरह उबालें।
* छानकर गरमा-गरम खुशबूदार मसाला चाय का आनंद लें।

खास टिप्स

* मसालों को ज्यादा न भूनें, वरना स्वाद कड़वा हो सकता है।
* मसाला हमेशा पूरी तरह ठंडा होने पर पीसें।
* सूखे और साफ चम्मच का इस्तेमाल करें।
* ठंडी और सूखी जगह पर एयरटाइट जार में रखें।
* सही तरीके से स्टोर करने पर लगभग 3–4 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

घर के बने चाय मसाले की खुशबू से हर कप चाय बनेगा खास!

भाई दूज आज: बहनें लगाएंगी भाई के माथे पर तिलक, दीर्घायु और रक्षा की करेंगी कामना



यम द्वितीया पर तिलक का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से 3 :20 बजे तक, यमुना स्नान और यमराज पूजन का विशेष महत्व
भाई-बहन के पवित्र प्रेम और स्नेह का प्रतीक पर्व

रिपोर्ट विनय कुमार मिश्र
गोरखपुर।

मुख्य तथ्य - एक नज़र में

- पर्वः भाई दूज / यम द्वितीया / भ्रातृ द्वितीया
- तारीखः बुधवार, 11 नवंबर 2026
- तिथिः कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष की द्वितीया
- द्वितीया तिथि प्रारंभः 10 नवंबर 2026, दोपहर 2:00 बजे से
- द्वितीया तिथि समाप्तः 11 नवंबर 2026, दोपहर 3:53 बजे तक
- तिलक का शुभ मुहूर्तः दोपहर 1:10 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक
- मुख्य रिवाजः तिलक, आरती, स्वादिष्ट भोजन, भाई द्वारा बहन को भेंट और जीवनभर रक्षा का वचन
- विशेष महत्वः यमुना स्नान और यमराज की पूजा

1. भाई दूज क्या है - क्यों मनाया जाता है?

भाई-बहन के पवित्र प्रेम और स्नेह के प्रतीक पर्व भाई दूज का त्योहार आज बुधवार, 11 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा।

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अकाल मृत्यु से रक्षा की कामना करेंगी।

इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। तिलक और भोजन के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार (भेंट) देते हैं और जीवनभर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं।

यह पर्व सिर्फ रिवाज नहीं है, यह भाई-बहन के रिश्ते को फिर से मजबूत करने का दिन है। सालभर की दूरी, काम की व्यस्तता, शादी के बाद की दूरियां - भाई दूज उन सबको एक थाली, एक तिलक और एक वचन में समेट देता है।

2. शुभ मुहूर्त - तिलक कब लगाएं?

द्वितीया तिथिः

- प्रारंभः 10 नवंबर 2026, दोपहर 2:00 बजे से
- समाप्तः 11 नवंबर 2026, दोपहर 3:53 बजे तक

तिलक का शुभ मुहूर्तः

- दोपहर 1:10 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक

संपादकीय सलाहः मुहूर्त में ही तिलक करने का प्रयास करें। अगर भाई दूर है तो वीडियो कॉल पर भी तिलक की परंपरा निभाई जा सकती है, भाव ही सबसे बड़ा मुहूर्त है।

3. पूजा विधि - बहनें कैसे करें तिलक?

1. स्नान और तैयारीः सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनें, पूजा थाली सजाएं
2. थाली में क्या होः रोली, अक्षत, पुष्प, मिठाई, दीपक, नारियल, सुपारी, कलावा
3. भाई को बैठाएंः भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं
4. तिलक लगाएंः भाई के माथे पर रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं
5. आरती उतारेंः दीपक से भाई की आरती उतारें, कलावा बांधें
6. भोजन कराएंः भाई को अपने हाथ से बना स्वादिष्ट भोजन कराएं, विशेषकर मिठाई
7. भेंट और वचनः भाई बहन को भेंट दे और जीवनभर रक्षा का वचन दे

यमुना स्नान और यमराज पूजनः

इस दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमराज की पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन यमुना में स्नान करने से यम का भय समाप्त हो जाता है।

जो लोग यमुना तक नहीं जा सकते, वे घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर यमराज और यमुना का ध्यान कर सकते हैं।

4. पौराणिक कथा - यमराज और यमुना की कथा

पौराणिक मान्यता के अनुसार, सूर्यदेव की संतान यमराज और यमुना दोनों भाई-बहन थे।

यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थीं और उन्हें बार-बार अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती थीं, लेकिन यमराज अपने व्यस्त कार्यों के कारण जा नहीं पाते थे।

कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना के द्वार पर अचानक यमराज को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने भाई का भव्य आदर-सत्कार किया, तिलक लगाया और स्वादिष्ट भोजन कराया।

बहन के इस प्रेम को देखकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा। तब यमुना ने वरदान मांगा कि आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर आएं और जो बहन इस दिन अपने भाई का आदर-सत्कार करके तिलक लगाए, उसे यम का भय न हो।

यमराज ने 'तथास्तु' कहा और तभी से भाई दूज (यम द्वितीया) का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई।

इसीलिए इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है।

5. दूसरी कथा - श्रीकृष्ण और सुभद्रा

एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण नरकासुर राक्षस का वध करने के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे।

सुभद्रा ने भाई श्रीकृष्ण का आरती, तिलक और मिठाई से स्वागत किया था, तभी से यह पर्व भाई-बहन के प्रेम के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा।

दोनों कथाओं का संदेश एक ही है - बहन का प्रेम, भाई की रक्षा का वचन।

6. भाई दूज का सामाजिक संदेश - जनहित में

भाई दूज सिर्फ तिलक का पर्व नहीं है, यह समाज के लिए भी संदेश है:

1. बहन की सुरक्षाः भाई का वचन सिर्फ एक दिन का नहीं, जीवनभर बहन के सम्मान और सुरक्षा का वचन है
2. बेटियों का सम्मानः जिस घर में बहन का आदर होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है
3. रिश्तों को समय देनाः मोबाइल की दुनिया में भाई दूज हमें याद दिलाता है कि रिश्ते स्क्रीन से नहीं, साथ बैठकर भोजन करने से मजबूत होते हैं
4. दूर रहने वाले भाई-बहनः जो भाई-बहन दूर हैं, वे आज एक कॉल, एक संदेश से भी रिश्ता निभा सकते हैं

संपादकीय मतः तिलक के साथ-साथ भाई को यह भी संकल्प लेना चाहिए कि वह अपनी बहन ही नहीं, समाज की हर बहन-बेटी के सम्मान और सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। तभी भाई दूज सार्थक होगा।

7. जनहित में सावधानी

- मिठाई में संतुलनः मधुमेह और बीपी के मरीज मिठाई सीमित मात्रा में लें

- यात्रा में सावधानीः यमुना स्नान या बहन के घर जाते समय भीड़, जाम और प्रदूषण से बचें, मास्क का प्रयोग करें

- सड़क सुरक्षाः भाई दूज पर दोपहिया पर तीन सवारी न चलें, हेलमेट जरूर पहनें

- उपहार में समझदारीः दिखावे के महंगे उपहार से ज्यादा बहन को समय और सम्मान दें

8. संपादकीय निष्कर्ष

भाई दूज हमें सिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं, प्रेम और वचन से बनते हैं।

बहन का तिलक भाई के माथे पर सिर्फ रोली नहीं, उसके जीवन की रक्षा का कवच है। भाई की भेंट बहन के हाथ में सिर्फ उपहार नहीं, उसके जीवनभर साथ खड़े रहने का वचन है।

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक की ओर से सभी भाई-बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।

आपके भाई-बहन का प्रेम यमुना के जल की तरह पवित्र और यमराज के वरदान की तरह अटल रहे।

- संपादकीय विभाग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक
- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक

आपके दिन की शुरुआत, पारुल भटनागर के साथ
विशेषज्ञ एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु कंसल्टेंट
परिवहन विशेष News
Vediccodes
VASTU • NUMEROLOGY • ASTROLOGY

धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

जानिए दिन की ऊर्जा • संभालिए धन • मजबूत बनाइए रिश्ते

11 नवंबर 2026 | दिन का अंक: 5 — बदलाव, संवाद, अनुकूलता, गति और नए अवसर

मूलांक 1

धन व करियर: दिन 5 आपकी नेतृत्व क्षमता में नए संपर्क और बदलाव की गति लाता है। धन लगाने से पहले एक अच्छे अवसर की व्यावहारिक जांच करें।
रिश्ते: अचानक बनी योजना रिश्ते में खुशी ला सकती है, लेकिन अकेले फैसला करने के बजाय सामने वाले की राय लें।
सावधानी: जल्दबाजी में निवेश, अधीरता और उत्साह में बड़े वादों से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक उपयोगी बातचीत करें और उसका स्पष्ट अगला कदम तय करें।

मूलांक 2

धन व करियर: दिन 5 आपको साझा धन पर चुपचाप सहमत होने के बजाय अपनी बात रखने को कहता है। विकल्प तुलना करें और शर्तें जांचें।
रिश्ते: योजना बदलने का अर्थ हमेशा उपेक्षा नहीं होता। नरमी से सवाल पूछें और अपनी जरूरत स्पष्ट करें।
सावधानी: भावनात्मक खरीदारी और छोटे संदेशों का जरूरत से ज्यादा अर्थ निकालने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक जरूरत सीधे बताएं और बजट की सीमा बनाए रखें।

मूलांक 3

धन व करियर: दिन 5 आपकी संवाद क्षमता को बल देता है। स्पष्ट प्रस्ताव के साथ प्रस्तुति, प्रचार या रचनात्मक साझेदारी में रुचि मिल सकती है।
रिश्ते: हंसी-मजाक और जीवंत बातचीत रिश्ते में ताजगी लाएगी। जितना बोलें, उतने मन से सुनें भी।
सावधानी: बिखरे वादे, गॉसिप और दिखावे के खर्च से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक केंद्रित प्रस्ताव भेजें और उसका फॉलो-अप पूरा करें।

मूलांक 4

धन व करियर: दिन 5 आपकी नियमित दिनचर्या में नया अनुरोध या अवसर ला सकता है। समय बदलने से पहले उसकी लागत जांचें।
रिश्ते: अपनी पुरानी योजना सही साबित करने से अधिक लचीलापन उपयोगी होगा। बदलाव बिना आलोचना समझाएं।
सावधानी: जिद में इनकार और आखिरी समय के महंगे उपायों से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: जरूरी जिम्मेदारियां निभाते हुए एक दिनचर्या में समझदार बदलाव करें।

मूलांक 5

धन व करियर: आपके मूलांक 5 और दिन 5 का मेल संपर्क, व्यापार, यात्रा और नए विचारों को बल देता है। अवसरों की संख्या नहीं, उनकी विश्वसनीयता देखें।
रिश्ते: नयापन और स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ेगी। योजनाएं स्पष्ट बताएं ताकि अपने लोग खुद को अलग महसूस न करें।
सावधानी: जोखिमपूर्ण खर्च, जरूरत से ज्यादा काम लेने और अधूरे काम छोड़ने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक मजबूत अवसर चुनें और उसका ठोस अगला कदम पूरा करें।

मूलांक 6

धन व करियर: दिन 5 आपकी सुरक्षा और आराम की सोच में गति जोड़ता है। क्लाइंट से बातचीत या सेवा सुधार उपयोगी होगा, यदि खर्च सीमित रहे।
रिश्ते: साथ में छोटी नई गतिविधि रिश्ते को ताजगी दे सकती है; महंगे आयोजन की जरूरत नहीं।
सावधानी: विलासिता की अचानक खरीद और सबको खुश करने के लिए हर बात मानने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक किफायती साझा अनुभव तय करें और एक नियमित खर्च की समीक्षा करें।

मूलांक 7

धन व करियर: दिन 5 नई जानकारी ला सकता है जो पुरानी धारणा बदल दे। विकल्प की जांच करें, फिर निर्णय की व्यावहारिक समयसीमा रखें।
रिश्ते: कभी जिज्ञासा तो कभी एकांत की इच्छा होगी। बातचीत से अचानक गायब होने के बजाय जरूरत समझाएं।
सावधानी: संदेह, अंतहीन तुलना और अधूरी जानकारी पर निष्कर्ष से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक जरूरी तथ्य की पुष्टि करें और निर्णय शांति से साझा करें।

मूलांक 8

धन व करियर: दिन 5 सौदेबाजी और व्यवसायिक बातचीत में गति ला सकता है। आगे बढ़ने से पहले अनुबंध, भुगतान तिथि और लाभ का अंतर स्पष्ट रखें।
रिश्ते: नियंत्रण वाला स्वर विरोध पैदा कर सकता है। सामने वाले को दूसरा तरीका सुझाने की जगह दें।
सावधानी: जोखिमपूर्ण शॉर्टकट, शक्ति संघर्ष और सफलता दिखाने के खर्च से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: बातचीत में लचीलापन रखें, लेकिन एक आर्थिक सीमा पक्की रखें।

मूलांक 9

धन व करियर: दिन 5 आपकी उद्देश्यपूर्ण ऊर्जा को नई दिशा देता है। उपयोगी पुराने संपर्क से जुड़ें या प्रयास को ठोस प्रभाव वाले काम में लगाएं।
रिश्ते: खुली और हल्की बातचीत तनाव घटा सकती है, लेकिन जरूरी माफी या अधूरी बात न टालें।
सावधानी: आवेग में मदद, अचानक दूरी और भावनाओं से बचने के लिए व्यस्तता बढ़ाने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: नए अवसर से पहले एक अधूरा विषय पूरा करें।

कॉल / व्हाट्सऐप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in | @vediccodes
Vediccodes - Your vibrations... our solutions

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - जनहित में आध्यात्मिक जनजागरण / पालघर - काशी

पालघर से काशी तक निकलेगी 14 दिवसीय "Save Self – The Awakening Yatra (Phase-2)"

योग, मंत्र-साधना, बांसुरी संगीत और मानवता का संदेश लेकर निकलेगी जनजागरण यात्रा| शुभारंभ 12 नवंबर 2026 को पालघर से, समापन 25 नवंबर 2026 को काशी में

रिपोर्ट विशेष संवाददाता
परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक पालघर, महाराष्ट्र -

शरीर, मन और समाज को स्वस्थ, शांत एवं जागरूक बनाने के संकल्प के साथ श्री हरि नारायण सेवा संस्थान, पालघर (महाराष्ट्र) के तत्वावधान में ब्रह्मर्षि योगीराज श्री भारत भूषण भारतेन्दु जी महाराज के नेतृत्व में "Save Self – The Awakening Yatra (Phase-2)" का शुभारंभ 12 नवंबर 2026 को पालघर से किया जाएगा।

यह 14 दिवसीय जनजागरण एवं आध्यात्मिक यात्रा 25 नवंबर 2026 तक चलेगी।

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक जनहित में इस यात्रा का संपूर्ण विवरण प्रकाशित कर रहा है।

तथ्य एक नज़र में - बिंदु - विवरण

यात्रा का नाम Save Self – The Awakening Yatra (Phase-2)

आयोजक श्री हरि नारायण सेवा संस्थान, पालघर (महाराष्ट्र) / पालघर पीठ

नेतृत्व ब्रह्मर्षि योगीराज श्री भारत भूषण भारतेन्दु जी महाराज

शुभारंभ 12 नवंबर 2026, पालघर से

समापन 25 नवंबर 2026, काशी (वाराणसी) तक

अवधि 14 दिवसीय

मार्ग पालघर - नासिक - उज्जैन (महाकाल) - ग्वालियर - वृंदावन - लखनऊ - काशी (वाराणसी)

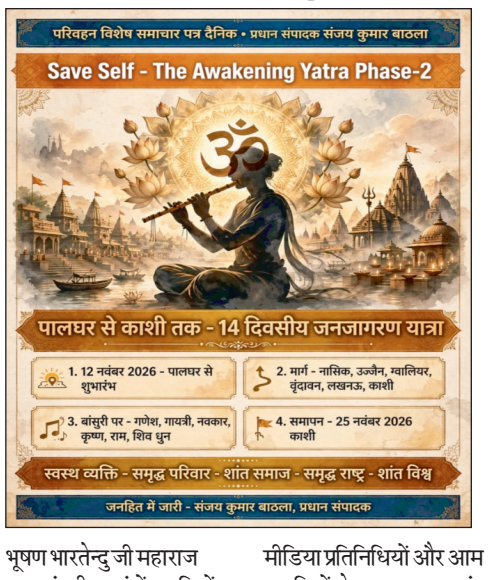
विशेष आकर्षण बांसुरी पर मंत्र, स्तुति और भक्ति संगीत

मुख्य बिंदु

1. यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है?

योग, स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, अहिंसा, करुणा, गौसेवा, पर्यावरण संरक्षण, युवा सशक्तिकरण, भारतीय संस्कृति और विश्व शांति का संदेश जन-जन तक पहुंचाना।

2. विशेष आकर्षण क्या होगा? योगीराज श्री भारत भूषण भारतेन्दु जी महाराज द्वारा बांसुरी पर मंत्रों, स्तुतियों और भक्ति संगीत की प्रस्तुतियां।



3. "Save Self" का क्या अर्थ है?

स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म-संरक्षण, आत्म-विकास और आत्म-जागरण।

4. यात्रा का मूल मंत्र क्या है?

"स्वस्थ व्यक्ति, समृद्ध परिवार 'शांत समाज, समृद्ध राष्ट्र, शांत विश्व।"

5. किससे अपील की गई है? संत समाज, सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों, युवाओं, गौसेवा संगठनों, पर्यावरण प्रेमियों, मीडिया प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से प्रचार-प्रसार एवं सहभागिता की अपील।

विस्तृत विवरण

भाग 1 - बांसुरी पर क्या प्रस्तुत होगा? इस यात्रा में विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के मंत्रों एवं भक्ति संगीत को एक साथ प्रस्तुत कर सर्वधर्म सम्मान और मानव एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रस्तुतियों में शामिल होंगे -

- श्री गणेश स्तुति
- जैन नवकार महामंत्र
- गायत्री महामंत्र
- श्रीकृष्ण धुन एवं कृष्ण भक्ति संगीत
- श्रीराम धुन
- भगवान शिव की शिव धुन
- हनुमान भजन एवं हनुमान भक्ति संगीत
- अन्य वैदिक मंत्र, भक्ति धुनें एवं ध्यान संगीत

इन प्रस्तुतियों का उद्देश्य संगीत और मंत्र-साधना के माध्यम से मन की शांति, एकाग्रता, सकारात्मकता, करुणा और आध्यात्मिक सद्भाव का संदेश पहुंचाना है।

भाग 2 - यात्रा मार्ग यह यात्रा पालघर से प्रारंभ होकर नासिक, उज्जैन (महाकाल), ग्वालियर, वृंदावन (श्रीकृष्ण भूमि), लखनऊ होते हुए काशी (वाराणसी) तक पहुंचेगी। निर्धारित कार्यक्रमों के पश्चात वापसी यात्रा की जाएगी।

भाग 3 - "Save Self" का संदेशः पहले स्वयं को जागृत करें योगीराज श्री भारत भूषण भारतेन्दु जी महाराज के अनुसार, आज के समय में व्यक्ति को केवल बाहरी विकास ही नहीं, बल्कि अपने शरीर, मन, विचार और व्यवहार के प्रति भी जागरूक होना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि "Save Self" का अर्थ स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म-संरक्षण, आत्म-विकास और आत्म-जागरण है। जब व्यक्ति स्वयं स्वस्थ, शांत, अनुशासित और संवेदनशील बनेगा, तभी परिवार, समाज और राष्ट्र में सकारात्मक परिवर्तन संभव होगा।

संपादकीय टिप्पणी

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक का मानना है कि आज की भागदौड़ में सबसे बड़ी जरूरत बाहर की नहीं, भीतर की जागृति की है।

योग, मंत्र और संगीत जब एक साथ चलते हैं, तो वे केवल कार्यक्रम नहीं बनते - वे मन को शांत करने और समाज को जोड़ने का माध्यम बनते हैं

पालघर से काशी तक की यह यात्रा इसी संदेश को लेकर चल रही है - पहले स्वयं को बचाओ, स्वयं को जागृत करो, तभी समाज जागेगा।

आज का संकल्प -

स्वस्थ व्यक्ति ड्ड समृद्ध परिवार - शांत समाज ड्ड समृद्ध राष्ट्र - शांत विश्व।

- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

नोटः यह लेख आयोजक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर जनहित में प्रकाशित है।

19-20 नवंबर को सजेगा जिला स्तरीय युवा महोत्सव का मंच: डीसी

विजेताओं को मिलेंगे 2,100-4,100 तक के पुरस्कार *"नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत" थीम पर होगा महोत्सव, 15 से 29 वर्ष के युवा ले सकेंगे भाग, पंजीकरण अनिवार्य*



डीसी वर्षा खांगवाल ने ली सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 10 नवंबर

युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा, सांस्कृतिक विरासत एवं कला कौशल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला झज्जर में आगामी 19 व 20 नवंबर को जिला स्तरीय युवा महोत्सव-2026 का आयोजन किया जाएगा। डीसी वर्षा खांगवाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस बार महोत्सव का आयोजन राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय के सभागार में किया जाएगा। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस वर्ष महोत्सव की मुख्य थीम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत रखी गई है।

डीसी ने बताया कि महोत्सव को पूर्णतः इनडोर स्वरूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने जिला के सभी राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं से अधिकाधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है।

6 विधाओं में प्रतिभा परीक्षा ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

दो दिवसीय महोत्सव के दौरान पांच समूह सांस्कृतिक विधाओं के अंतर्गत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं के साथ पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र वादन प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। इनमें समूह लोक नृत्य, समूह लोक गीत, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, कविता लेखन तथा पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र वादन शामिल हैं। सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की आयु 17 अगस्त 2026 को 15 से 29 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। पिछले वर्ष के विजेता इस वर्ष संबंधित प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे तथा एक प्रतिभागी केवल एक ही विधा में हिस्सा ले सकेगा। सभी प्रतिभागियों के लिए My Bharat Portal पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। महोत्सव में भाग लेने के लिए निर्धारित आयु वर्ग के युवा समय रहते अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं।

नकल या साहित्यिक चोरी पाए जाने पर अयोग्य घोषित

बैठक में जिला युवा समन्वयक अधिकारी संदीप कुमार अहलावत ने विस्तार में जानकारी देते हुए बताया कि पेंटिंग प्रतियोगिता व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित होगी, जिसमें प्रतिभागियों को निर्धारित थीम पर ए-3 आकार की शीट पर पेंसिल, एक्रेलिक, वाटर कलर अथवा क्रेयॉन माध्यम से चित्र तैयार करना होगा। इसके लिए अधिकतम 6 घंटे का समय निर्धारित है। कविता लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को हिंदी, अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा में 90 मिनट के भीतर मौलिक कविता लिखनी होगी। नकल अथवा साहित्यिक चोरी पाए जाने पर प्रतिभागी को अयोग्य घोषित किया जाएगा। पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र वादन प्रतियोगिता में ढोल, नगाड़ा, बांसुरी, सारंगी, इकतारा, खड़ताल, तबला सहित अन्य पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया जा सकेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत समूह लोक नृत्य एवं समूह लोक गीत की प्रस्तुतियां भारतीय सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय लोक परंपराओं पर आधारित होंगी। इनकी अवधि 5 से 8 मिनट निर्धारित की गई है। लोक गीत में फिल्मी गानों एवं नाटक की प्रस्तुति हिंदी, अंग्रेजी अथवा रीमिक्स की अनुमति नहीं होगी। नुक्कड़ किसी क्षेत्रीय भाषा में अधिकतम 7 मिनट की होगी, जिसमें एक टीम में अधिकतम 10 सदस्य भाग ले सकेंगे।

शिक्षण संस्थानों को अधिकाधिक भागीदारी के निर्देश

जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों के प्राचार्यों को अपने-अपने संस्थानों से अधिकाधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं तक महोत्सव की जानकारी पहुंचाने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए ब्लॉक यूथ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। महोत्सव में भाग लेने के लिए युवा एवं शिक्षण संस्थान अधिक जानकारी तथा पंजीकरण संबंधी सहायता के लिए अपने नजदीकी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने तथा नशा मुक्त एवं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहभागी बनने का आह्वान किया है।

जिला स्तर पर प्रत्येक विधा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों/टीम को निर्धारित पुरस्कार राशि एवं योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार राशि में प्रथम पुरस्कार 4,100 रुपए प्रति प्रतिभागी, द्वितीय पुरस्कार 3,100 रुपए प्रति प्रतिभागी, तृतीय पुरस्कार 2,100 रुपए प्रति प्रतिभागी प्रदान किए जाएंगे। जिला स्तर पर विजेता प्रतिभागियों को आगामी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में जिला झज्जर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।

जिला स्तरीय बैठक में डीसी ने उपस्थित सभी अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को कार्यक्रम सफल बनाने हेतु दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम बादली विशाल कुमार, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, नगराधीश ऋतु, जिला युवा समन्वयक अधिकारी एवं प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झज्जर एट गुढ़ा संदीप कुमार अहलावत, राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दलबीर हुड्डा, चौधरी रणबीर सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज से डॉ. पूर्णिमा, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान से डॉ. भावना, उप जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार, उप निदेशक, माय भारत अर्शदीप सहित सभी खंड युवा समन्वयक अधिकारी उपस्थित रहे।

एसआईआर 2026 : ड्राफ्ट मतदाता सूची से छूटे लोगों को नाम जुड़वाने का मिलेगा एक और अवसर : डीसी

एएसडीडी श्रेणी में चिन्हित मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म व निर्धारित घोषणा पत्र जमा करवाकर अंतिम मतदाता सूची में शामिल करवा सकेंगे नाम

बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे संपर्क, मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दोबारा प्रदर्शित होंगी छूटे मतदाताओं की सूची

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने बैठक में दिए दिशा निर्देश

झज्जर, 10 नवंबर

भारत निर्वाचन आयोग के तहत चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल होने से वंचित रह गए मतदाताओं के लिए अच्छी खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए एक और अवसर प्रदान किया है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने लघु सचिवालय सभागार में सम्बंधित अधिकारियों की बैठक ली और बताया कि जिन मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए गए थे, लेकिन अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट (एएसडीडी) के रूप में चिन्हित होने के कारण उनके फॉर्म वापस प्राप्त नहीं हुए और नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके, वे अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा अपना फॉर्म जमा करवा सकेंगे। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए.श्रीनिवास ने एसआईआर के मद्देनजर आवश्यक जानकारी दी।

मतदाताओं की सूची दोबारा होगी प्रदर्शित, बीएलओ करेंगे संपर्क

डीसी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार ऐसे सभी मतदाताओं की बूथवार सूची संबंधित मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड, पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों में दोबारा प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही ये सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी पीडीएफ प्रारूप में अपलोड हैं। इनमें मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होने के संभावित कारण भी दर्शाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संबंधित बीएलओ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के सहयोग से ऐसे मतदाताओं तक पहुंचेंगे। इसके लिए घर-घर जाकर संपर्क करने, पड़ोसियों एवं परिवार के सदस्यों से जानकारी लेने तथा उपलब्ध मोबाइल नंबरों के माध्यम से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ मतदाताओं को फॉर्म भरने और जमा करवाने की प्रक्रिया के बारे में भी मार्गदर्शन देंगे।

पुराने ईपीआईसी नंबर से डाउनलोड कर सकेंगे एन्यूमरेशन फॉर्म : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि ऐसे सभी एएसडीडी मतदाताओं के आंशिक रूप से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म ईसीआईनेट के ईआरओ डैशबोर्ड पर दोबारा तैयार किए जाएंगे। बीएलओ के माध्यम से फॉर्म भौतिक रूप से अथवा व्हाट्सएप, ई-मेल और एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। मतदाता अपने पुराने ईपीआईसी नंबर के माध्यम से निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अथवा ईसीआईनेट ऐप पर जाकर भी अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, वे भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म इस घोषणा पत्र के साथ जमा करवाएंगे कि वे पहले फॉर्म क्यों जमा नहीं करवा सके। यह फॉर्म संबंधित ईआरओ, एईआरओ अथवा बीएलओ को स्वयं या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के माध्यम से दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ईसीआईनेट पर ई-साइन के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

राज्य के भीतर स्थान बदलने वालों को फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं

डीसी ने बताया कि जिन मतदाताओं ने राज्य के भीतर ही अपना निवास स्थान बदल लिया है, उन्हें फॉर्म-8 भरने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मतदाता नए पते और विधानसभा क्षेत्र का विवरण देते हुए एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ निर्धारित घोषणा पत्र तथा नए पते का प्रमाण संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ/एईआरओ को जमा करवा सकते हैं। वे नए निवास स्थान के मतदान केंद्र के बीएलओ से भी सहायता ले सकते हैं। बीएलओ से संपर्क करने के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और ईसीआईनेट ऐप पर 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' की सुविधा भी उपलब्ध है। बेघर व्यक्तियों के पास पते का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बीएलओ की फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट को निवास प्रमाण के रूप में पर्याप्त माना जाएगा।

पहले ही फॉर्म-6 जमा करवाने वालों को दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं

डीसी ने बताया कि जिन मतदाताओं ने एसआईआर के दौरान नए सिरे से नाम दर्ज करवाने के लिए पहले ही फॉर्म-6 जमा करवा दिया है, उन्हें दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म और घोषणा पत्र जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके आवेदन आयोग के 3 नवंबर 2026 के स्पष्टीकरण के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी फॉर्मों की संबंधित ईआरओ द्वारा मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21(1) के तहत जांच एवं आवश्यक सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के फॉर्म अलग रखे जाएंगे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। ऐसे मामलों में मतदाता को एसआईआर से पहले आवंटित वही ईपीआईसी नंबर दोबारा दिया जाएगा।

वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ग्रैप-3 के नियमों की सख्ती से होगी पालना

- एनसीआर में लागू है ग्रैप-3 की पाबंदियां, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित कई कड़े कदम प्रभावी

- जिला के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ एवं शुद्ध हवा उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिकता : डीसी

बहादुरगढ़, 10 नवंबर।

एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण (ग्रैप-3) को लागू किया गया है। इसके तहत प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न पाबंदियां प्रभावी की गई हैं। डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा ग्रैप-3 के तहत जारी दिशा-निर्देशों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध

डीसी ने बताया कि ग्रैप-3 के तहत निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्र में इन प्रतिबंधों की निगरानी करने और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

प्रदूषण नियंत्रण में आमजन की भागीदारी भी जरूरी

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा सीएक्यूएम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश



दिए गए हैं। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाएं और ऐसे किसी भी कार्य से बचें, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता हो। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिला के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ एवं शुद्ध हवा मिल सके। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशासन के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सभी नागरिक ग्रैप-3 के तहत लागू पाबंदियों का पालन करें और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में सहयोग दें।

संत शिरोमणि पंडित जानकी प्रसाद शर्मा की स्मृति में संत गरीबदास महाराज की वाणी के तीन दिवसीय अखंड पाठ का शुभारंभ

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने पूरे परिवार के साथ की शिरकत, बड़ी संख्या में पहुंचे साधु-संत और श्रद्धालु

धर्मपत्नी डॉ. रीटा शर्मा सहित परिवार के सदस्यों ने संत-महापुरुषों का लिया आशीर्वाद

12 नवंबर को अखंड पाठ के समापन पर होगा विशाल भंडारा, श्रद्धालु ग्रहण करेंगे प्रसाद

दादाजी के आदर्श और संस्कार हमारे परिवार की अमूल्य धरोहर, जनसेवा के लिए करते हैं प्रेरित : डॉ. अरविंद शर्मा

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 10 नवंबर। हरियाणा के सहकारिता, कारागार, पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के दादाजी परम पूज्य संत शिरोमणि पंडित जानकी प्रसाद शर्मा की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम के तहत मंगलवार को संत गरीबदास महाराज की पावन वाणी के तीन दिवसीय अखंड पाठ का श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने अपनी धर्मपत्नी डॉ. रीटा शर्मा सहित पूरे परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया और संत-महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु-संतों और श्रद्धालुओं ने शिरकत की। संत गरीबदास महाराज की अमृतमयी वाणी के पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। तीन दिवसीय धार्मिक आयोजन का समापन 12 नवंबर को होगा। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि उनके पूजनीय दादाजी संत शिरोमणि पंडित जानकी प्रसाद शर्मा का संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक चिंतन, समाज सेवा और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने हमेशा समाज को सत्य, सादगी, सदाचार और परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी पुण्य स्मृति में परिवार द्वारा हर वर्ष संत गरीबदास महाराज की पावन वाणी के अखंड पाठ का आयोजन किया जाता है। यह धार्मिक परंपरा न केवल परिवार को अपने पूर्वजों के आदर्शों से जोड़ती है, बल्कि नई पीढ़ी को भी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों और संस्कारों से परिचित करवाने का अवसर प्रदान करती है।



डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि संत गरीबदास महाराज की वाणी मानव जीवन को सही दिशा देने वाली अनमोल आध्यात्मिक धरोहर है। उनकी शिक्षाओं में मानवता, समानता, आपसी प्रेम, भाईचारे और समाज कल्याण का संदेश समाहित है। संत-महापुरुषों ने हमेशा जाति-पाति और ऊंच-नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा दी है। आज के समय में संतों की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि समाज में प्रेम, सद्भाव और आपसी विश्वास को मजबूत बनाने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों का अनुसरण बेहद जरूरी है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनके दादाजी द्वारा दिए गए संस्कार और आदर्श पूरे परिवार के लिए अमूल्य धरोहर हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज सेवा और मानव कल्याण के कार्यों में योगदान देने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनसेवा ही सच्ची प्रभु सेवा है। जरूरतमंदों की सहायता करना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहयोग पहुंचाना और दूसरों के सुख-दुख में सहभागी बनना ही संत-महापुरुषों की शिक्षाओं का वास्तविक अनुसरण है।

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि संत गरीबदास महाराज की वाणी केवल आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। संतों की शिक्षाएं मनुष्य को अहंकार, भेदभाव और कुरीतियों से दूर रहकर सत्य एवं सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि परिवार द्वारा वर्षों से निभाई जा रही इस धार्मिक परंपरा को आगे भी इसी श्रद्धा और समर्पण के साथ जारी रखा जाएगा।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे साधु-संतों ने संत गरीबदास महाराज की वाणी के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को सत्य, भक्ति, सदाचार और परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, उनकी धर्मपत्नी डॉ. रीटा शर्मा और परिवार के अन्य सदस्यों ने साधु-संतों का आदर-सत्कार किया तथा उनका आशीर्वाद लिया।

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारी समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। उन्होंने सभी से समाज में प्रेम, सद्भाव, भाईचारा और मानव सेवा की भावना को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

12 नवंबर को अखंड पाठ का समापन, विशाल भंडारे का होगा आयोजन

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि संत शिरोमणि पंडित जानकी प्रसाद शर्मा की पुण्य स्मृति में आयोजित तीन दिवसीय अखंड पाठ का समापन 12 नवंबर, बृहस्पतिवार को होगा। इस अवसर पर संत-महापुरुषों के सान्निध्य में धार्मिक कार्यक्रम तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर संत गरीबदास महाराज की पावन वाणी का श्रवण करने, संत-महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करने और भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पूरे परिवार के लिए श्रद्धा, संस्कार और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष अवसर है।



परमधाम-छतरी साहिब मंदिर में कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने नवाया शीश, लिया आशीर्वाद

संत-महापुरुषों की शिक्षाएं समाज को सत्य, सेवा और सद्भाव के मार्ग पर चलने की देती हैं प्रेरणा : डॉ. अरविंद शर्मा

बहादुरगढ़, 10 नवंबर।

हरियाणा के सहकारिता, कारागार, पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने मंगलवार को झज्जर जिले के पावन छुड़ानी धाम स्थित परमधाम-छतरी साहिब मंदिर में शीश नवाकर सतगुरु कबीर साहिब एवं संत शिरोमणि गरीबदास महाराज का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की।

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि छुड़ानी धाम हमारी समृद्ध संत परंपरा और आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। संत कबीर साहिब और संत गरीबदास महाराज की अमृतवाणी मानवता, समानता, भाईचारे और जनसेवा का संदेश देती है। संत-महापुरुषों के आदर्श आज भी समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संतों के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। हमारी महान संत परंपरा और संस्कार आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर हैं, जिनका संरक्षण एवं संवर्धन करना हम सभी का दायित्व है।

डीसी आज बहादुरगढ़ में सुनेंगी नागरिकों की समस्याएं

सुबह 11 बजे लघु सचिवालय स्थित कैंप कार्यालय में होगी जनसुनवाई, सभी विभागों के अधिकारी रहेंगे मौजूद

बहादुरगढ़, 10 नवंबर। बहादुरगढ़ क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार, 11 नवंबर को लघु सचिवालय बहादुरगढ स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई होगी। डीसी वर्षा खांगवाल बुधवार सुबह 11 बजे नागरिकों की समस्याएं सुनेंगी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगी। जनसुनवाई के दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे, ताकि नागरिकों की शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जा सके। नागरिकों से अपील है की कि वे निर्धारित समय पर पहुंचकर अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखते हुए समाधान करवाएं।

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - जनहित में संपादकीय / दिल्ली हाई कोर्ट / जन सुरक्षा

GRAP हो या न हो, जान से समझौता नहीं - जर्जर इमारतों पर हाई कोर्ट सख्त

6 नवंबर 2026 का उच्च न्यायालय का आदेश - एमसीडी आयुक्त मुख्यमंत्री से सलाह करके 1 हफ्ते में बनाएं हाई-पावर्ड कमेटी (सीलिंग, मरम्मत या नियंत्रित ढहाने का वैकल्पिक तंत्र बनाना होगा) अगली सुनवाई 20 जनवरी

विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक नई दिल्ली -

दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए जिन सरकारी विभागों की मुख्य भूमिका है, वे किसी भी कीमत पर भूमिका निभाने को तैयार नहीं हैं - चाहे उच्च न्यायालय आदेश दे, चाहे उपराज्यपाल और चाहे उच्चतम न्यायालय। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से अपनी तरफ से दिल्ली को सुरक्षित रखने के प्रति दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है - कोर्ट इन त्रासदियों के सामने मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता।

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक जनहित में हाई कोर्ट के दिशा - निर्देशों को संपूर्ण विवरण सहित प्रकाशित कर रहा है।

आपकी कॉलोनी में भी हैं ऐसी जर्जर इमारतें? तो यह खबर आपके लिए है।

तथ्य एक नज़र में - बिंदु - विवरण

न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट

न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी

आदेश की तारीख 6 नवंबर, 2026

मामला दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 348 के तहत जर्जर संपत्ति पर नोटिस वाला मामला

मुख्य निर्देश MCD आयुक्त, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सलाह करके हाई-पावर्ड कमेटी बनाएं

समय सीमा जितनी जल्दी हो सके, अधिमानतः अगले 1 हफ्ते में

GRAP प्रतिबंध ढहाने का काम कम से कम 10 फरवरी तक नहीं हो सकता

अगली सुनवाई 20 जनवरी

आदेश की प्रति भेजी गई मुख्यमंत्री और MCD आयुक्त को

मुख्य बिंदु

1. कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों लिया? जर्जर / संरचनात्मक रूप से असुरक्षित इमारतों से रहने वालों, मालिकों, राहगीरों और पड़ोसी संपत्तियों में रहने वालों की जान को तत्काल खतरा है।

2. GRAP की समस्या क्या है? GRAP - ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान - के प्रदूषण प्रतिबंधों के दौरान ढहाने की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। इसलिए नगर निकाय 10 फरवरी तक ऐसी खतरनाक संरचनाओं को हटाने के लिए कदम नहीं उठा सकते।

3. कोर्ट का समाधान क्या है? GRAP के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं। एक प्रभावी वैकल्पिक तंत्र बनाओ - सीलिंग, मरम्मत या नियंत्रित ढहाना।

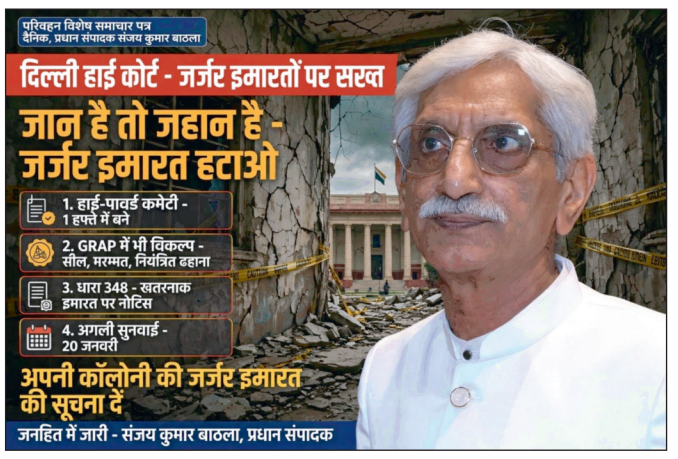
4. कोर्ट ने MCD को क्या फटकार लगाई? MCD केवल निरीक्षण करके या नोटिस जारी करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।

5. पृष्ठभूमि में कौन सी त्रासदियां हैं? सत्य निकेतन और हाल ही में चावड़ी बाजार में इमारत गिरने से कई लोगों की जान गई। कोर्ट ने कहा - खतरा इन्हीं घटनाओं से स्पष्ट है।

विस्तृत विवरण

भाग 1 - मामला कहां से शुरू हुआ? यह मामला उस संपत्ति से जुड़ा है जिसे MCD ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 348 - खतरनाक इमारतों को हटाना - के तहत जर्जर हालत में पाए जाने पर नोटिस दिया था।

कोर्ट ने पाया कि MCD ने लंबे समय तक प्रभावी कदम नहीं उठाए, और अब GRAP



प्रतिबंधों के कारण जमीन पर आगे की कार्रवाई भी नहीं कर पा रही है।

भाग 2 - कोर्ट ने क्या कहा?

>"कोर्ट सत्य निकेतन जैसी त्रासदियों के सामने मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता।"

कोर्ट ने कहा कि खतरा रहने वालों तक ही सीमित नहीं है। राहगीर और पड़ोसी इमारतों में रहने वाले भी खतरे में हैं।

भाग 3 - हाई-पावर्ड कमेटी क्या करेगी? कमेटी को उन इमारतों के लिए प्रभावी वैकल्पिक तंत्र परखना और बनाना होगा जिन्हें जर्जर / संरचनात्मक रूप से असुरक्षित / खतरनाक घोषित किया गया है।

विकल्पों में शामिल हैं -

- सीलिंग - खतरनाक इमारत को सील करना ताकि कोई अंदर न जाए
- मरम्मत - जहां मरम्मत से सुरक्षा संभव हो
- नियंत्रित ढहाना - GRAP के दायरे में सुरक्षित तरीके से गिराना

भाग 4 - MCD सर्वे क्या कहता है?

MCD के 12 अक्टूबर के सर्वे के अनुसार दिल्ली भर में 553 मरम्मत योग्य संपत्तियां मिलीं, जिनमें से 298 - लगभग 54% - सिटी SP जोन - पुरानी दिल्ली - में हैं, जबकि सर्वे किए गए मकानों में इस जोन की हिस्सेदारी सिर्फ 2.9% थी।

उसी जोन में 12 संपत्तियों को खतरनाक वर्ग में रखा गया, और केवल 10 की मरम्मत दर्ज हुई।

यह आंकड़ा बताता है कि समस्या सिर्फ नोटिस से नहीं, कार्रवाई से हल होगी।

भाग 5 - सत्य निकेतन और चावड़ी बाजार - भूलें नहीं

6 सितंबर को सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत गिर गई थी, जिसमें मरम्मत का काम चल रहा था। उसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। 03a8

5 नवंबर को चावड़ी बाजार मेट्रो के पास गली शीश महल में तीन मंजिला इमारत गिरने से भी 7 लोगों की जान गई।

जनता के लिए क्या करें?

- अपनी कॉलोनी में दरार वाली, झुकी हुई, टपकती, जर्जर इमारत दिखे तो MCD को लिखित सूचना दें
- ऐसी इमारत के नीचे से गुजरने, वाहन खड़ा करने से बचें
- किराएदार / PG में रहने वाले - मालिक से स्ट्रक्चर सेफ्टी रिपोर्ट मांगें
- बारिश / GRAP के दौरान जर्जर इमारत में रहने का जोखिम न लें
- पड़ोसी इमारत खतरनाक हो तो भी शिकायत करें - खतरा सिर्फ रहने वालों को नहीं है

संपादकीय टिप्पणी परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक का मानना है कि नोटिस जारी करना कार्रवाई नहीं है, और सर्वे करना सुरक्षा नहीं है। GRAP प्रदूषण रोकने के लिए है, जान रोकने के लिए नहीं। अगर GRAP के कारण ढहाना रुकता है, तो सीलिंग और मरम्मत रुकनी नहीं चाहिए।

आज का संकल्प - जर्जर इमारत दिखे तो चुप न रहें, सूचना दें - जान है तो जहान है।

नोट: यह लेख 6 नवंबर 2026 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और प्रकाशित समाचार रिपोर्टों के आधार पर जनहित में जानकारी हेतु है।

- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - जनहित में पर्यावरण जागरूकता

त्योहार भी खुशियों से मनाएं - और - हवा को भी स्वच्छ रखें

परंपरा भी, पर्यावरण भी - दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा की खुशी बिना धुएं और कचरे के भी मनाई जा सकती है

लेख डॉ परविंदर सिंह प्रस्तुतकर्ता प्रधान संपादक: संजय कुमार बाठला

नई दिल्ली - भारत के त्योहार प्रार्थना, खान-पान, संगीत, रोशनी और साझा परंपराओं के माध्यम से लोगों को एक साथ लाते हैं। ये उत्सव देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं।

लेकिन जब भारी भीड़, ट्रैफिक, आतिशबाजी और अस्थायी सजावटें एक साथ हो जाती हैं, तो वायु प्रदूषण बढ़ जाता है।

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक का स्पष्ट मत है - पर्यावरण की रक्षा करने का मतलब अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी और सावधानी के साथ मनाना है।

तथ्य एक नज़र में

- त्योहार: दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और अन्य भारतीय उत्सव

- मुख्य समस्या: आतिशबाजी का धुआं, बारीक कण, शोर, ट्रैफिक जाम, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक और अतिरिक्त कचरा

- सबसे ज्यादा प्रभावित: बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग, पालतू जानवर

- समाधान: दीये, कम बिजली वाली लाइटें, पुनः उपयोग वाली सजावट, सार्वजनिक परिवहन, सफाई व्यवस्था

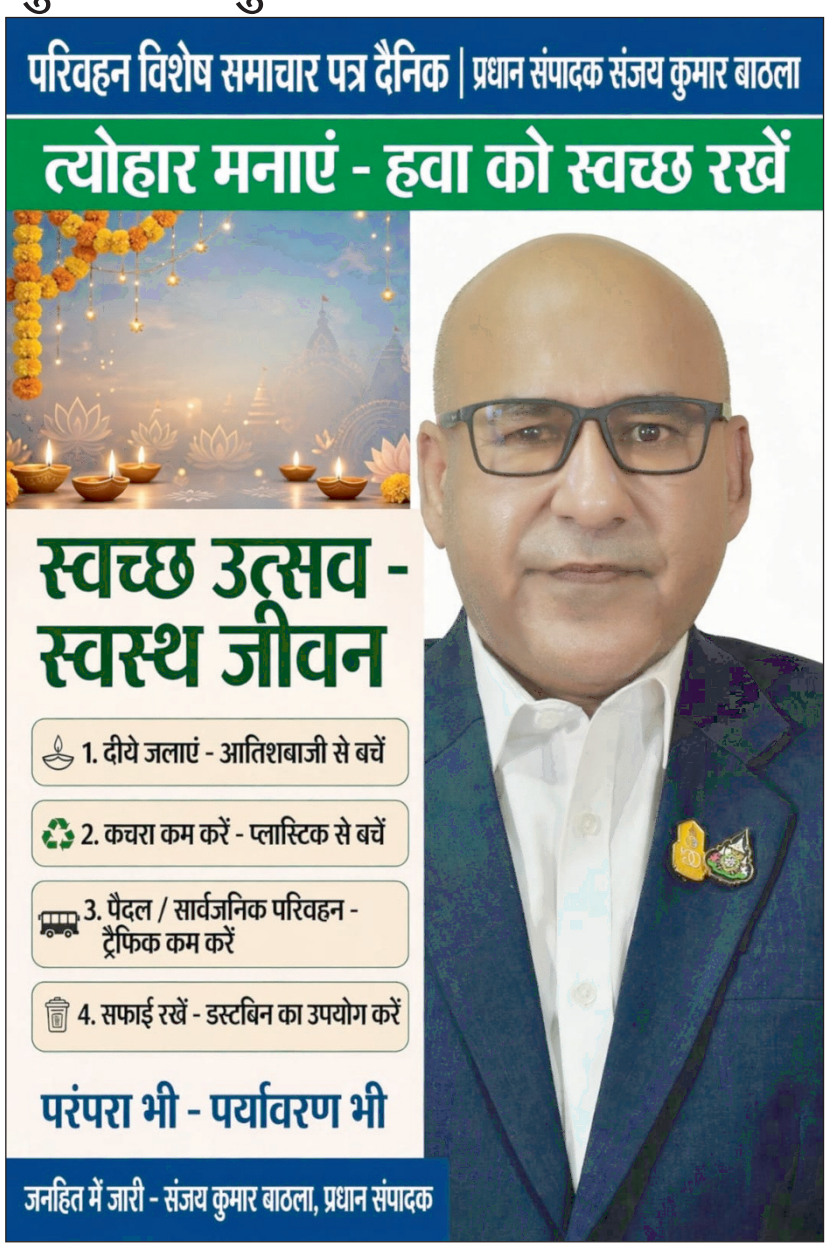
मुख्य बिंदु

1. आतिशबाजी से क्या नुकसान? धुआं और बारीक कण हवा की गुणवत्ता खराब करते हैं। शोर से बच्चों, बुजुर्गों, पालतू जानवरों और बीमार लोगों को परेशानी होती है।

2. ट्रैफिक और भीड़ का असर त्योहारों में अतिरिक्त वाहनों से ट्रैफिक जाम और उत्सर्जन बढ़ता है।

3. कचरा भी एक प्रदूषण है सजावट का सामान, खाने-पीने की पैकेजिंग और फेंका गया कचरा अतिरिक्त अपशिष्ट पैदा करता है।

4. छोटा बदलाव, बड़ा असर एक घर का बदलाव छोटा लगता है, लेकिन लाखों घरों का बदलाव बड़ी स्वच्छ हवा बन जाता है।



विस्तृत विवरण

भाग 1 - त्योहार हमारी पहचान हैं त्योहार केवल छुट्टी नहीं हैं। वे जीवन, कृतज्ञता और आपसी जुड़ाव का उत्सव हैं। हम जो हवा में सांस लेते हैं, उसकी देखभाल करना असल में एक-दूसरे की देखभाल करने जैसा ही है।

भाग 2 - समस्या कहां है?

1. समस्या परंपरा में नहीं, तरीके में है।

2. आतिशबाजी की जगह दीये, मोमबत्तियां या कम बिजली खपत वाली लाइटें भी उतनी ही रोशनी और खुशी दे सकती हैं।

सजावट के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्हें दोबारा काम में लाया जा सके या जो प्राकृतिक हों।

भाग 3 - क्या कर सकते हैं?

- आतिशबाजी के बजाय दीये, मोमबत्ती, LED लाइटें
- सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और सामूहिक उत्सव - बिना आतिशबाजी के
- जुलूस और आयोजनों में डस्टबिन, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से बचाव, कार्यक्रम के बाद सफाई
- सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग, जहां संभव हो पैदल चलना
- बच्चों को रचनात्मक, कम प्रदूषण वाले उत्सवों में शामिल करना

भाग 4 - किसकी क्या भूमिका?

- परिवार: घर से शुरुआत करें
- स्कूल और सामुदायिक नेता: सम्मानजनक तरीके से समझाएं, धुआं और कचरा कैसे नुकसान पहुंचाता है
- आयोजक: कचरा प्रबंधन और सफाई की व्यवस्था
- स्थानीय प्रशासन: स्पष्ट दिशा-निर्देश, कचरा संग्रहण में सुधार, नियमों का निष्पक्ष पालन

संपादकीय टिप्पणी स्वच्छ उत्सव मनाना किसी एक व्यक्ति पर बोझ नहीं, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

परंपराओं पर गर्व और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को मिलाकर हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं - और उनके लिए एक ऐसी स्वस्थ दुनिया छोड़ सकते हैं जहां वे खुशियां मना सकें।

आज का संकल्प -

परंपरा भी - पर्यावरण भी।

स्वच्छ उत्सव - स्वस्थ जीवन।

- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

राउरकेला में 10 लाख रुपये की जेवरात चोरी का मामला: छेंड पुलिस की ज्वेलरी दुकान में छापेमारी, संचालक हिरासत में



कनक अलंकार दुकान में पुलिस की कार्रवाई से सर्राफा कारोबारियों में हलचल; चोरी के सोने की बिक्री और फाइनेंस कंपनियों में गिरवी रखने के पहलू की जांच

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला

राउरकेला के छेंड इलाके में करीब 10 लाख रुपये के सोने के आभूषणों की चोरी के मामले में छेंड थाना पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ओल्ड टैक्सी स्टैंड के निकट स्थित आभूषण प्रतिष्ठान 'कनक अलंकार' में छापेमारी की। पुलिस ने दुकान के संचालक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कार्रवाई के बाद दुकान बंद कर दी गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले महीने छेंड कॉलोनी निवासी दीपक माणिक के घर से करीब 10 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण चोरी हो गए थे। घटना के बाद छेंड पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस को एक पूर्व परिचित अपराधी की संलिप्तता के संबंध में सुराग मिले। इसके आधार पर उससे पूछताछ की गई। बाद में पुलिस ने एक अन्य व्यक्ति को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, चोरी किए गए आभूषणों में से कुछ को शहर की विभिन्न सोने-चांदी की दुकानों में बेचने की जानकारी सामने आई। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने अलग-अलग आभूषण प्रतिष्ठानों में छानबीन शुरू की, जिसके क्रम में कनक अलंकार में भी छापेमारी की गई।

जांच में यह पहलू भी सामने आया है कि चोरी के कुछ सोने के आभूषण कथित तौर पर विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के पास गिरवी रखकर लाखों रुपये प्राप्त किए गए। पुलिस अब चोरी के आभूषणों की बरामदगी, उनकी खरीद-बिक्री की कड़ियों और इस पूरे नेटवर्क में अन्य लोगों की संभावित भूमिका की जांच कर रही है।

चोरी के सोने की खरीद-बिक्री पर निगरानी जरूरी इस घटना ने शहर के सर्राफा बाजार में आभूषणों की खरीद, बिक्री और गिरवी रखने की प्रक्रिया में सत्यापन की आवश्यकता को फिर रेखांकित किया है। चोरी के आभूषणों की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए दुकानदारों और वित्तीय संस्थानों को विक्रेता की पहचान, खरीद के दस्तावेज और स्वामित्व संबंधी प्रमाणों की समुचित जांच करनी चाहिए।

फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। हालांकि, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों अथवा संबंधित प्रतिष्ठान की संलिप्तता अभी जांच का विषय है। अंतिम निष्कर्ष पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

पारंपरिक रीति-रिवाजों, पूजा-अर्चना और आतिशबाजी के बीच राउरकेला में हर्षोल्लास से मनी दीपावली

रंग-बिरंगी रंगोलियों, आकर्षक तोरण द्वारों और दीपों की रोशनी से जगमगाए घर-आंगन; मिठाइयों एवं उपहारों के आदान-प्रदान के साथ लोगों ने साझा की पर्व की खुशियां

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला

प्रकाश, उल्लास और समृद्धि का प्रतीक दीपावली का पावन पर्व राउरकेला में पारंपरिक श्रद्धा, धार्मिक आस्था और उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संपूर्ण क्षेत्र में उत्सव की रौनक देखते ही बनी। घरों से लेकर प्रतिष्ठानों तक आकर्षक सजावट, दीपों की जगमगाहट और रंग-बिरंगी रोशनियों ने वातावरण को उत्सवी रंग में सराबोर कर दिया।

दीपावली के अवसर पर लोगों ने अपनी परंपराओं और पारिवारिक रीति-रिवाजों का निर्वहन करते हुए विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। घरों के मुख्य द्वारों पर आकर्षक तोरण सजाए गए, वहीं आंगन में मनोहारी रंगोलियां बनाकर शुभता और मंगलकामना के प्रतीक स्वरूप दीप प्रज्वलित किए गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी ने अपनी-अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुरूप इस पर्व की तैयारियों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई।

पर्व की विशेष छटा उस समय और निखर उठी, जब परिवार के सदस्य नए परिधानों, आकर्षक वस्त्रों तथा पारंपरिक आभूषणों से सज-धजकर पूजा में सम्मिलित हुए। घरों में लक्ष्मी-गणेश की आराधना कर परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की मंगलकामना की गई। पूजा-अर्चना के उपरांत बच्चों और युवाओं में आतिशबाजी को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया। पटाखों की गूंज और दीपों की रोशनी ने उत्सव के उल्लास को और भी जीवंत बना दिया।

दीपावली केवल दीप जलाने और आतिशबाजी का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक आत्मीयता, पारिवारिक एकजुटता और आपसी सद्भाव को मजबूत करने का भी अवसर है। इसी भावना के अनुरूप लोगों ने अपने रिश्तेदारों, मित्रों और निकट संबंधियों के घर पहुंचकर मिठाइयां एवं उपहार भेंट किए तथा एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

मिठाइयों की मिठास, अपनों का स्नेह और परंपराओं की खुशबू के बीच दौरकेरा में दीपावली का उत्सव उल्लासपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पर्व ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि भारतीय संस्कृति की वास्तविक समृद्धि उसकी परंपराओं, पारिवारिक संस्कारों और सामाजिक सौहार्द में निहित है।



पत्रकारिता सम्मान और स्वाभिमान की होनी चाहिए, गुलामी की नहीं

धिक्कार है ऐसी पत्रकारिता को... बोल मेरे आका, क्या हुकुम है?

सच्चा पत्रकार न किसी का पीए होता है, न प्रवक्ता, न लिखिया मुंशी - वह आईना दिखाता है

- प्रस्तुति : संपादकीय विभाग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

मुख्य तथ्य - एक नज़र में

- **विषय:** आज़ाद भारत में पत्रकारिता की दशा, दिशा और स्वाभिमान
- मूल सवाल: पत्रकारिता सम्मान की होगी या गुलामी की?
- सच्चाई: सरकारें आईं-गईं, नेता-अधिकारी बदले, नियम बदले, पर पत्रकार की हालत नहीं सुधरी
- पत्रकार की स्थिति: न पगार, न पेंशन, न सुविधा, न सुरक्षा, न सम्मान - हर कदम पर जोखिम
- यातनाएं: अभद्रता, मारपीट, हमले, हत्या, झूठे मुकदमे, कलम तोड़ने का प्रयास
- संकल्प: अब सोच बदलो, अधिकारों की आवाज़ उठाओ, कलम को गिरवी मत रखो

1. अटपटा विषय नहीं, सोचने की ज़रूरत है

विषय अटपटा या असत्यता का नहीं, बस इसे नकारात्मकता के बजाय सकारात्मकता से सोचने-समझने की जरूरत है।

क्योंकि आज़ाद भारत में पत्रकारिता की दशा और दिशा पर बात की जाए, तो हालात ठीक नहीं हैं।

आज़ादी के इतने साल बाद भी बदहाल पत्रकारिता को सुधारने के लिए कोई ठोस और सकारात्मक प्रयास नहीं हुआ।

सरकारें आईं और गईं, नेता बदले, अधिकारी बदले, नियम-कानून बदले, लेकिन पत्रकार और पत्रकारिता की हालत बजाय सुधरने के बदहाल होती रही।

क्या ये हालात किसी से छिपे हैं? नहीं, बस समझने वालों का अभाव है।

2. पत्रकार अब जाग रहा है मगर कम संख्या में ही सही, लेकिन पत्रकार एक लंबे समय बाद अब जाग रहा है, सिर्फ भविष्य के साथ वर्तमान की स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक पत्रकारिता का माहौल बनाने के लिए।

परिणामस्वरूप चंद को छोड़कर लगभग हर पत्रकार चिंतित है और प्रयासरत भी है, और होना भी चाहिए।

क्योंकि लोकतांत्रिक भारत में सिर्फ प्रेस ही है, जिसे स्वार्थियों ने समय-समय पर इस्तेमाल किया, किसी ने कभी पत्रकारिता को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं किया।

यही वजह है कि चंद लोगों को छोड़कर, एक बड़ी संख्या के पत्रकारों और उनके परिवारों को तमाम तरह की समस्याओं और जोखिमों से जूझना पड़ता रहा।

3. पत्रकार की हकीकत - जोखिम ही जोखिम न कोई पगार, न पेंशन, न सुविधा, न सुरक्षा और न ही सम्मान।

हर कदम पर सिर्फ जोखिम और जिल्लत।

अन्यथा कदम-कदम पर अभद्रता, अमानवीयता, मारपीट, हमले, हत्या और झूठे मुकदमों जैसी यातनाओं से अधिकांश पत्रकारों को अब तक जूझना ही पड़ा है।

इसके लिए शायद ही कोई किस्मत वाला पत्रकार होगा, जो इन यातनाओं से अछूता रहा हो।

जिसने जन-सरोकार की निष्पक्ष पत्रकारिता करने का प्रयास किया, उसकी कलम को तोड़ने या बंधक बनाने का प्रयास किया गया, पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया।

सवाल सिर्फ यह है कि इन तमाम तरह की यातनाओं और प्रताड़नाओं के दौरान पीड़ित पत्रकार और उसके परिवार की मदद में साथ कौन रहा?

4. सोच बदलो - साथ किसका देना है? हर पत्रकार को ये समझना होगा और सोच बदलना होगा कि मुसीबत के समय किसने उसका साथ दिया।

जिस नेता, अधिकारी, जनप्रतिनिधि ने मुसीबत के समय साथ नहीं दिया, क्या उसका साथ देना उचित है?

बंद करना होगा हर स्वार्थी के साथ, उसकी एक सूचना पर दौड़कर हाज़िर होना।

सोच बदलना होगा और जिसने तुम्हारे दुख में साथ नहीं दिया, उसकी चाटुकारिता में कलम घिसना बंद करो।

जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा नहीं कर सका, उसके लिए अपनी कलम को गिरवी मत रखो।

पत्रकारिता सम्मान और स्वाभिमान की होनी चाहिए, गुलामी या बंधुआ मजदूरों वाली नहीं।

5. धिक्कार है ऐसी पत्रकारिता को ऐसे पत्रकारों पर धिक्कार है जो अपने आका के सामने नतमस्तक होकर कहे...

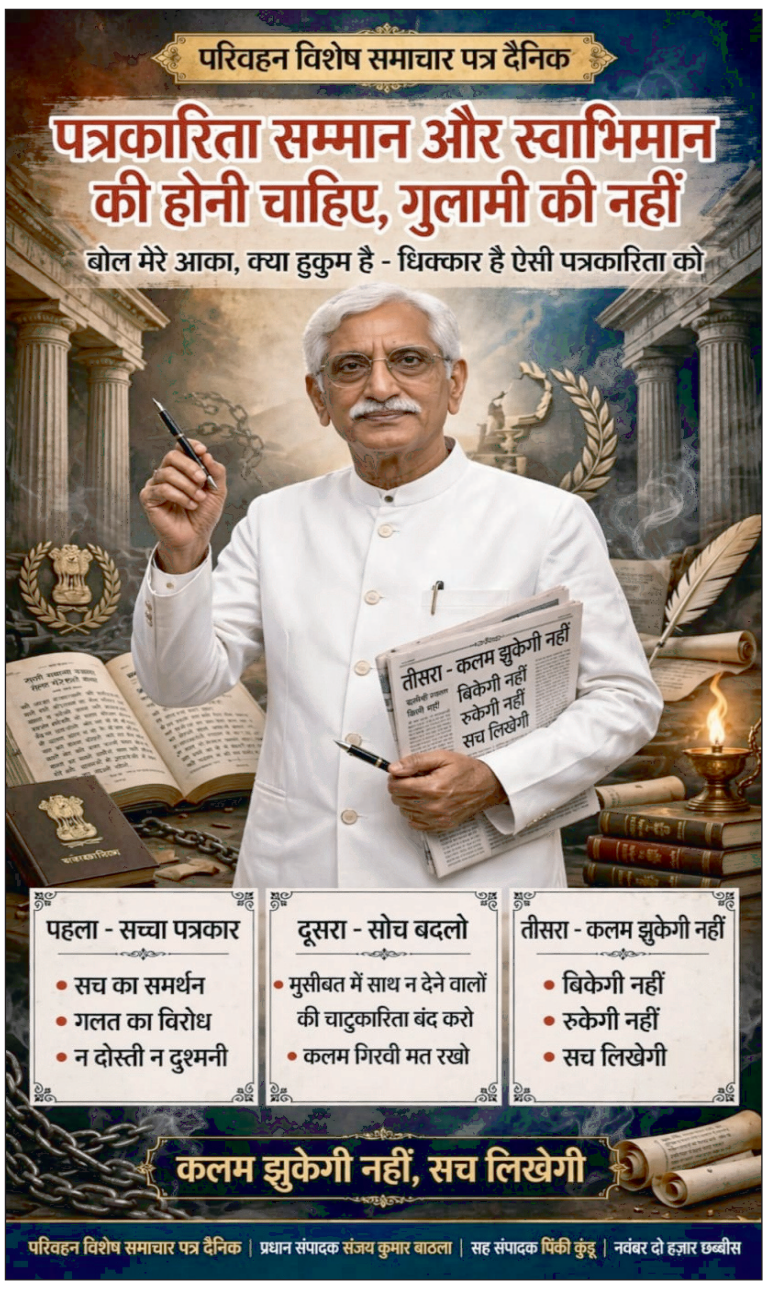
बोल मेरे आका, क्या हुकुम है? यह पत्रकारिता नहीं, गुलामी है, कलम पर कलंक है।

सच्चा पत्रकार न किसी पार्टी, नेता, अफसर का पीए होता है, न प्रवक्ता, और न लिखिया मुंशी।

वह आईना दिखाने की सोच से बदलाव हेतु सच लिखता है।

एक सच्चा पत्रकार सच का समर्थन और गलत का विरोध करता है, उसका सत्ता या विपक्ष से कोई सरोकार नहीं, न किसी से दोस्ती, न किसी से दुश्मनी।

बेहतर समाज और सुखद-सुंदर भारत बने, यही हर पत्रकार की सोच और प्रयास होना चाहिए।



6. संपादकीय टिप्पणी - अब भी वक्त है परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक का स्पष्ट मत है -

पत्रकार कोई नौकर नहीं, पत्रकार लोकतंत्र का प्रहरी है।

अगर पत्रकार डर गया, बिक गया, झुक गया, तो लोकतंत्र अंधा हो जाएगा।

इसलिए अब भी वक्त है, सोच बदलो और अधिकारों की आवाज़ उठाओ।

क्योंकि पत्रकारिता अब सम्मान और स्वाभिमान की करनी है।

कलम झुकेगी नहीं, बिकेगी नहीं, रुकेगी नहीं।

सच लिखेगी, सच दिखाएगी, सच के लिए लड़ेगी।

- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक



सीमाओं से परे साहित्य: विचारों को असीम उड़ान देने की शक्ति

डॉ. विजय गर्ग

साहित्य विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं और जीवन के अनुभवों का एक विशाल महासागर है। यह एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है, जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विभाजनों से ऊपर उठकर मनुष्यों को आपस में जोड़ती है। जहाँ राजनीतिक सीमाएँ देशों और समाजों को बाँटती हैं, वहीं साहित्य विचारों, कहानियों, मूल्यों और भावनाओं के माध्यम से लोगों को करीब लाता है। इसकी वास्तविक शक्ति समय और स्थान की सीमाओं को पार करके प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने में है।

सीमाओं से परे साहित्य का अर्थ विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसी लेखक को संकीर्ण विचारधाराओं, सामाजिक विभाजनों या पारंपरिक सोच की सीमाओं में कैद नहीं होना चाहिए। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि प्रश्न उठाना, शिक्षित करना, प्रेरित करना और समाज में परिवर्तन लाना भी है। कविता, कहानियों, उपन्यासों, निबंधों और आलोचनात्मक लेखन के माध्यम से लेखक मानवीय संबंधों, सामाजिक असमानताओं, वैज्ञानिक विकास और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त करते हैं।

इतिहास में साहित्य द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। महान लेखकों ने अन्याय को चुनौती दी, शोषण को उजागर किया और लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित किया। उनके शब्द राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके पीढ़ियों को प्रभावित करते रहे हैं। दुनिया के किसी एक कोने में लिखी गई साहित्यिक रचना दूसरे कोने में बैठे पाठकों के मन को छू सकती है, क्योंकि मानवीय भावनाएँ और जीवन के मूलभूत अनुभव सार्वभौमिक हैं।

भाषा कभी भी साहित्यिक रचनात्मकता के मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए। पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाएँ अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक समृद्धि और बौद्धिक परंपराओं को संजोए हुए हैं। अनुवाद एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा तक पहुँचाता है और पाठकों को विभिन्न संस्कृतियों तथा दृष्टिकोणों को समझने का अवसर देता है। एक अच्छी साहित्यिक रचना केवल अपने लेखक या भाषा की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की साझा विरासत होती है।

डिजिटल क्रांति ने साहित्य के विस्तार को और अधिक व्यापक बना दिया है। ऑनलाइन पत्रिकाओं, ई-पुस्तकों, डिजिटल पुस्तकालयों और सोशल मीडिया ने लेखन तथा प्रकाशन के अवसर बढ़ाए हैं। गाँवों और छोटे शहरों में रहने वाले लेखक भी अब अंतरराष्ट्रीय पाठकों तक पहुँच सकते हैं। युवा लेखक पारंपरिक प्रकाशन संस्थानों पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना अपनी रचनात्मकता को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।

फिर भी, सीमाओं से परे साहित्य का अर्थ जिम्मेदारी से मुक्त साहित्य नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ईमानदारी, संवेदनशीलता और मानवीय गरिमा का सम्मान भी आवश्यक है। साहित्य को नफरत फैलाने के बजाय हानिकारक परंपराओं को चुनौती देनी चाहिए, असहिष्णुता के बजाय विचारों के मतभेद को प्रोत्साहित करना चाहिए और समाज को विभाजित करने के बजाय मानवता को मजबूत बनाना चाहिए।

आधुनिक साहित्य में विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण जागरूकता, शिक्षा और बदलते मानवीय संबंधों को भी स्थान मिलना चाहिए। लेखकों को नई संभावनाओं की खोज करनी चाहिए, पुरानी धारणाओं पर प्रश्न उठाने चाहिए और पाठकों को स्वतंत्र चिंतन विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

अंततः साहित्य केवल पुस्तकों, पुस्तकालयों या कक्षाओं तक सीमित नहीं है। यह वहाँ भी मौजूद है, जहाँ मनुष्य अपने अनुभवों, सपनों, संघर्षों और आकांक्षाओं को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। जब भी कोई नया विचार किसी मानवीय हृदय को स्पर्श करता है, साहित्य का दायरा और अधिक विस्तृत हो जाता है।

साहित्य की कोई भौगोलिक सीमा नहीं, भाषा की कोई बाध्यता नहीं और न ही इसकी कोई समाप्ति तिथि है। इसकी वास्तविक पहचान स्वतंत्रता है, इसकी शक्ति कल्पना है और इसका अंतिम उद्देश्य ज्ञान, संवेदनशीलता तथा विवेक के माध्यम से मानवता को एकजुट करना है।

एक विचार की शुरुआत भले ही किसी एक लेखक से होती है, लेकिन साहित्य के माध्यम से वह पूरी दुनिया की आवाज बन सकता है।

सेवानिवृत्त प्राचार्य।
शिक्षाविद् एवं प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद,
एम.एच.आर. मलोट, पंजाब

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - साहित्य व समाज विशेष - संपादकीय

रिश्ता, रिश्ता नहीं मजाक - स्टेटस की हंसी के पीछे छिपी सच्चाई

बड़े शौक से लगाते हैं फोटो रिश्तों के, लोग स्टेटस पर - मगर फोटो के पीछे दरअसल आती है दूसरी फोटो नजर - अनामिका गुप्ता की कविता आज के रिश्तों का आईना है

- प्रस्तुति : संपादकीय विभाग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

मुख्य तथ्य - एक दृष्टि में

- रचना: कविता - रिश्ता, रिश्ता नहीं मजाक
- रचनाकार: अनामिका गुप्ता
- विषय: आज के रिश्तों में दिखावा, बनावटी हंसी, मुसीबत में साथ छोड़ना और वफा की कमी
- मुख्य पंक्ति: रिश्ता, रिश्ता निभाने को मोहताज हो गया है
- संदेश: फोटो में रिश्ता दिखता है, जीवन में रिश्ता निभता नहीं - रिश्ते को स्टेटस नहीं, साथ चाहिए

मूल कविता -

रिश्ता, रिशता नही मजाक.....
बडे शौक से लगाते हैं
फोटो रिश्तो के,, लोग सटेटस पर
मगर फोटो के पीछे दरसल
आती है दूसरी फोटो नजर
रिशता, रिशता नही मजाक हो गया है
कयोंकि
रिश्ता, रिश्ता निभाने को मोहताज हो गया है

हंसी के पीछे कहाँ छुपी हंसी
बनावटी हंसी दिखाने का रिवाज हो गया है
गधे के सिर से भाग जाते हें सींग
मुसीबत मे भाग जाना
आजकल रिशतों का मिजाज हो गया है
वफा की आरजू करना न आजकल
बेवफाओं से भरा आजकल शायद
समाज हो गया है

- अनामिका गुप्ता

1. कविता क्या कह रही है? - पहले सीधा अर्थ समझिए यह कविता लंबी नहीं है, लेकिन चोट गहरी करती है।

कवयित्री कहती हैं - लोग बड़े शौक से रिश्तों के फोटो स्टेटस पर लगाते हैं।

दिखाते हैं - देखो, हम कितने खुश हैं, हमारा परिवार कितना अच्छा है, हमारे दोस्त कितने सच्चे हैं।

लेकिन फोटो के पीछे एक दूसरी फोटो नजर आती है।

वह दूसरी फोटो क्या है?

वह है सच्चाई।

- फोटो में हंसते चेहरे हैं, असल में दिल में दूरियां हैं
- फोटो में गले मिले हुए लोग हैं, असल में बातचीत बंद है
- फोटो में साथ खड़े लोग हैं, असल में मुसीबत में साथ छोड़ देने वाले लोग हैं

कविता कहती है - रिश्ता अब रिश्ता नहीं रहा, मजाक हो गया है।

क्योंकि रिश्ता, रिश्ता निभाने को मोहताज हो गया है।

मोहताज का अर्थ है - किसी चीज के लिए तरसना, किसी चीज की जरूरत होना।

रिश्ता आज खुद अपने ही निभाने के लिए तरस रहा है।

2. स्टेटस वाला रिश्ता - फोटो के पीछे दूसरी फोटो

क. स्टेटस पर फोटो क्यों लगाते हैं?

आजकल रिश्ता दिखाने का सबसे आसान तरीका स्टेटस हो गया है।

- जन्मदिन पर फोटो
- शादी की सालगिरह पर फोटो
- त्योहार पर फोटो
- घूमने जाने पर फोटो

फोटो लगाते ही लोग लिखते हैं - मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरी जान, मेरा परिवार, मेरी दुनिया।

लेकिन कवयित्री कहती हैं - फोटो के पीछे दूसरी फोटो नजर आती है।

वह दूसरी फोटो कौन सी है?

- वह फोटो जिसमें महीनों से बात नहीं हुई
- वह फोटो जिसमें मदद मांगने पर फोन नहीं उठाया गया
- वह फोटो जिसमें मुसीबत में अकेला छोड़ दिया गया
- वह फोटो जिसमें पीठ पीछे बुराई की गई

स्टेटस की फोटो मुस्कुराती है, असल जिंदगी की फोटो रोती है।

ख. दिखावा क्यों बढ़ गया है?

क्योंकि आज रिश्ता निभाना कठिन लगता है, दिखाना आसान लगता है।

- निभाने के लिए समय चाहिए, दिखाने के लिए सिर्फ एक फोटो चाहिए
- निभाने के लिए त्याग चाहिए, दिखाने के लिए सिर्फ एक कैप्शन चाहिए
- निभाने के लिए माफ करना पड़ता है, दिखाने के लिए सिर्फ मुस्कुराना पड़ता है

इसलिए लोग निभाते कम हैं, दिखाते ज्यादा हैं।

3. बनावटी हंसी - हंसी के पीछे कहां छिपी हंसी कविता की सबसे मार्मिक पंक्ति है -

हंसी के पीछे कहाँ छुपी हंसी
बनावटी हंसी दिखाने का रिवाज हो गया है

इसका अर्थ समझिए -

आजकल लोग हंसते हैं, लेकिन हंसी सच्ची नहीं होती।

- सामने हंसते हैं, पीछे से जलते हैं
- सामने तारीफ करते हैं, पीछे से निंदा करते हैं
- सामने गले मिलते हैं, पीछे से दूर भागते हैं

क्यों बनावटी हंसी दिखानी पड़ती है?

क्योंकि -

- समाज को दिखाना है कि हम खुश हैं
- रिश्तेदारों को दिखाना है कि हममें कोई झगड़ा नहीं है
- दुनिया को दिखाना है कि हमारा परिवार सबसे अच्छा है

बनावटी हंसी रिवाज बन गई है।

रिवाज का अर्थ है - जो बार-बार किया जाए, वह आदत बन जाए।

अब तो लोग बिना सोचे ही बनावटी हंस देते हैं।

फोटो खिंचवाते समय हंसना है, तो हंस देते हैं।

स्टेटस लगाते समय खुश दिखना है, तो खुश दिख देते हैं।

लेकिन दिल की हंसी कहां गई?

वह हंसी जो बिना कारण आती थी, जो अपनों को देखकर आती थी, जो सच्ची होती थी - वह हंसी अब छिप गई है।

4. मुसीबत में भाग जाना - गधे के सिर से सींग की तरह कविता में एक देसी कहावत का प्रयोग हुआ है -

गधे के सिर से भाग जाते हें सींग
मुसीबत मे भाग जाना

आजकल रिशतों का मिजाज हो गया है

गधे के सिर पर सींग नहीं होते। यह कहावत तब बोली जाती है, जब कोई चीज अचानक गायब हो जाए।

कवयित्री कहती हैं - जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, वैसे ही मुसीबत आते ही रिश्तेदार गायब हो जाते हैं।

यह आज के रिश्तों का मिजाज हो गया है - स्वभाव हो गया है।



क. सुख में सब साथ, दुख में कोई नहीं

- शादी में सब आते हैं, अस्पताल में कोई नहीं आता
- पार्टी में सब साथ हैं, कर्ज में कोई साथ नहीं
- सफलता पर सब बधाई देते हैं, असफलता पर सब दूर हो जाते हैं
- खुशी में फोटो खिंचवाने वाले सौ लोग, दुख में कंधा देने वाला एक भी नहीं

ख. रिश्ता कब परखा जाता है? रिश्ता सुख में नहीं परखा जाता, दुख में परखा जाता है।

- जब पैसा नहीं है, तब कौन साथ है?
- जब बीमारी है, तब कौन पूछने आता है?
- जब बदनामी है, तब कौन खड़ा रहता है?
- जब अकेलापन है, तब कौन फोन करता है?

जो मुसीबत में भाग जाए, वह रिश्तेदार नहीं, तमाशबीन है।

जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे, वही सच्चा रिश्ता है।

कविता इसी पर चोट करती है - मुसीबत में भाग जाना आजकल आम हो गया है।

5. वफा की आरजू - बेवफाओं से भरा समाज कविता का अंतिम भाग सबसे दर्द भरा है -

वफा की आरजू करना न आजकल
बेवफाओं से भरा आजकल शायद
समाज हो गया है

वफा का अर्थ है - निष्ठा, ईमानदारी, वचन निभाना।

आरजू का अर्थ है - इच्छा, चाहत।

कवयित्री कहती हैं - आजकल वफा की इच्छा करना भी बेकार है।

क्यों?

क्योंकि समाज बेवफाओं से भर गया है।

- जो वादा करते हैं, निभाते नहीं
- जो कसम खाते हैं, तोड़ देते हैं
- जो साथ रहने का वचन देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं
- जो दोस्ती की बात करते हैं, मतलब निकलते ही बदल जाते हैं

बेवफाई अब अपवाद नहीं, आम बात हो गई है।

इसीलिए लोग कहते हैं - किसी पर भरोसा मत करो, सब मतलबी हैं।

लेकिन क्या सच में सब बेवफा हैं?

नहीं।

समाज में आज भी वफादार लोग हैं।

- आज भी मां-बाप अपने बच्चों के लिए वफादार हैं
- आज भी कुछ दोस्त मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं
- आज भी कुछ भाई-बहन एक-दूसरे के लिए जान देते हैं
- आज भी कुछ पति-पत्नी सुख-दुख में साथ निभाते हैं

कविता हमें निराश नहीं कर रही, हमें जगा रही है। - वह कह रही है - वफा को ढूंढो, वफा को बचाओ, वफा को जिंदा रखो।

6. आज के समाज में कविता क्यों जरूरी है? यह कविता आज इसलिए जरूरी है, क्योंकि -

क. मोबाइल ने रिश्ते छोटे कर दिए: पहले लोग मिलने जाते थे, अब स्टेटस देखकर ही खुश हो जाते हैं। मिलने का समय नहीं, लेकिन स्टेटस देखने का समय है।

ख. मतलब ने रिश्ते भारी कर दिए: रिश्ता तब तक अच्छा है, जब तक मतलब है। मतलब खत्म, रिश्ता खत्म।

ग. दिखावे ने रिश्ते खोखले कर दिए: रिश्ता कैसा है, इससे ज्यादा जरूरी हो गया है कि रिश्ता कैसा दिखता है।

घ. धैर्य ने रिश्ते टूटने दिए: पहले लोग झगड़े में भी रिश्ता निभाते थे, अब छोटी सी बात पर रिश्ता तोड़ देते हैं।

कविता हमें रोककर पूछती है - क्या यही रिश्ता है? - क्या रिश्ता केवल फोटो तक सीमित रह गया है?

7. सच्चा रिश्ता कैसा होता है? - कविता से सीख कविता केवल शिकायत नहीं करती, वह हमें सच्चे रिश्ते की पहचान भी कराती है।

सच्चा रिश्ता -

- स्टेटस में नहीं, साथ में दिखता है: जो मुसीबत में फोन उठाए, वही सच्चा है
- हंसी में नहीं, आंसू में दिखता है: जो तुम्हारे दुख में रोए, वही सच्चा है
- फोटो में नहीं, फैसले में दिखता है: जो तुम्हारे लिए अपना फायदा छोड़े, वही सच्चा है
- शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखता है: जो कहे नहीं, करके दिखाए, वही सच्चा है

रिश्ता निभाने के लिए तीन बातें याद रखिए -

पहली - समय दीजिए: रिश्ते को समय चाहिए। हफ्ते में एक बार मिलिए, एक बार फोन कीजिए, एक बार हाल पूछिए।

दूसरी - माफ कीजिए: रिश्ते में गलती होती है। माफ करना सीखिए। हर गलती पर रिश्ता तोड़ना, रिश्ता नहीं, अहंकार है।

तीसरी - मुसीबत में खड़े रहिए: सुख में तो सब साथ होते हैं। दुख में साथ खड़े रहिए। यही रिश्ते की असली परीक्षा है।

8. संपादकीय टिप्पणी - फोटो नहीं, साथ चाहिए परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक का मानना है कि अनामिका गुप्ता की यह कविता आज के हर घर की कहानी है।

हम सबने यह देखा है -

- फोटो में हंसते हुए लोग, असल में एक-दूसरे से बात नहीं करते
- स्टेटस पर भाई-भाई लिखने वाले, असल में जमीन के लिए लड़ते हैं
- स्टेटस पर दोस्ती का दावा करने वाले, असल में मुसीबत में फोन नहीं उठाते

कविता हमें आईना दिखाती है।

वह कहती है - रिश्ता मजाक नहीं है।

रिश्ता निभाने की चीज है, दिखाने की नहीं।

आज संकल्प लें -

- हम स्टेटस के लिए नहीं, दिल के लिए रिश्ता निभाएंगे
- हम बनावटी हंसी नहीं, सच्ची हंसी हंसेंगे
- हम मुसीबत में भागेंगे नहीं, साथ खड़े रहेंगे
- हम वफा की आरजू नहीं करेंगे, वफा करके दिखाएंगे

क्योंकि फोटो मिट जाती है, स्टेटस हट जाता है।

लेकिन साथ निभाया हुआ रिश्ता हमेशा जिंदा रहता है।

जिस घर में रिश्ता निभाया जाता है, वहां स्टेटस की जरूरत नहीं पड़ती।

वहां रिश्ता खुद ही मुस्कुराता है।

- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - सामाजिक परामर्शदाता पिंकी कुंडू - विशेष जनहित रिपोर्ट

जब दुनिया के सबसे ताकतवर AI बॉस ही हनीट्रैप में फँस गए, तो आम आदमी की क्या बिसात?

Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग का मामला – आरोप, जांच और आम लोगों के लिए बड़ा सबक

साइबर सुरक्षा जनहित लेख – पिंकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता

- प्रस्तुति : संपादकीय विभाग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

जेन्सन हुआंग ने अफेयर कबूला - सत्य 8 नवंबर 2026 को आंतरिक मेमो में उन्होंने पत्नी से बेवफाई कबूली, कहा - I was unfaithful to my wife, there is no excuse

महिला एलिस हुआंग है, मेगास्पीड की एग्जीक्यूटिव - सत्य एलिस हुआंग उर्फ हुआंग ले, सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल की सीनियर एग्जीक्यूटिव थीं

अमेरिकी खुफिया एजेंसी का आरोप - चीन की जासूस - आरोप सत्य है, सिद्ध नहीं हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स / फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार US इंटेलिजेंस का मानना है कि उन्हें चीन के Ministry of State Security ने भर्ती किया था। चीन ने इसे पूरी तरह निराधार बताया है

4.8 बिलियन डॉलर के चिप्स - सत्य, लेकिन पुराना आंकड़ा मेगास्पीड ने जून 2024 से 4.8 बिलियन डॉलर से ज्यादा के चिप्स खरीदे। नई रिपोर्ट में 7.5 बिलियन डॉलर और 2,40,000 चिप्स चीन पहुंचाने का दावा है

Nvidia बोर्ड ने जांच शुरू की - सत्य बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू की, कहा - अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के सीक्रेट लीक होने का कोई कारण नहीं मिला

Nvidia भारत की इकॉनमी से बड़ी है - अतिशयोक्ति Nvidia का मार्केट कैप करीब 4-5 ट्रिलियन डॉलर है, भारत की GDP भी करीब 4 ट्रिलियन डॉलर है। यानी दोनों लगभग बराबर हैं, एक-दूसरे से बहुत बड़ी नहीं।

FBI जांच कर रही है - सत्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा - FBI मामले को देख रही है

मतलब: हनीट्रैप का आरोप मीडिया और खुफिया रिपोर्टों पर आधारित है। अभी अदालत में जासूसी सिद्ध नहीं हुई है।

1. कहानी क्या है? दुनिया को सबसे एडवांस AI और सुपरकंप्यूटर की चिप बनाकर देने वाले Nvidia के मालिक जेन्सन हुआंग, जिनकी कंपनी का साम्राज्य लगभग भारत की कुल इकॉनमी के बराबर है, वो खुद एक हनीट्रैप का शिकार हो गए!

सोचिए, जिस इंसान के दिमाग और तकनीक के इशारे पर पूरी दुनिया का फ्यूचर टेक नाच रहा है, जब उसका ही सिस्टम एक खूबसूरत जासूस के आगे हैंग हो गया, तो फिर यहाँ उन आम लोगों की क्या ही बिसात है जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर किसी अनजान लड़की की प्रोफाइल से आए वीडियो कॉल के ऑफर को स्वीकार कर फँस जाते हैं।



अमेरिकी जांच में खुलासा हुआ है कि 63 साल के जेन्सन हुआंग सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड की एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग के साथ रोमांटिक रिश्ते में फँस गए थे।

अमेरिकी इंटेलिजेंस का मानना है कि एलिस को खास तौर पर हुआंग को फँसाने, अंदरूनी जानकारी निकालने और अमेरिकी AI चिप प्रतिबंधों में सेंध लगाने के लिए ही प्लांट किया था।

अमेरिका ने चीन को एडवांस चिप न मिले इसके लिए दुनिया भर के कानून और ताले लगाए, और चीन ने सीधा कंपनी के मालिक पर ही हनीट्रैप का पासा फेंक दिया।

2. चिप्स का खेल - 4.8 बिलियन से 7.5 बिलियन तक

नतीजा यह हुआ कि एलिस की कंपनी ने पिछले दो सालों में करीब 4.8 बिलियन डॉलर के Nvidia चिप्स खरीदे।

नई रिपोर्ट कहती है कि इस रिश्ते का इस्तेमाल करके करीब 7.5 बिलियन डॉलर के चिप्स, यानी करीब 2,40,000 H100, H200 और A100 चिप्स चीन तक पहुंचाने का खेल कर दिया गया।

जब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ और अमेरिकी संसद ने जवाब तलब किया, तो दुनिया के सबसे ताकतवर CEO साहब को अपनी कंपनी के कर्मचारियों को चिट्ठी लिखकर कबूल करना पड़ा कि उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है और उनके पास अपनी इस गलती का कोई बहाना नहीं है।

अब सोचिए, जब सिलिकॉन वैली की इतनी हाई-प्रोफाइल सिक्योरिटी और सलाहकारों के बीच रहने वाले खरबपतियों का यह हाल है, तो रात के 11 बजे फेसबुक और व्हाट्सएप पर किसी 'एंजेल प्रिया' के वीडियो कॉल के ऑफर को अपना सौभाग्य समझकर उठाने वालों को कोई क्या ही दोष दे!

3. तकनीक बदल गई, हनीट्रैप का सॉफ्टवेयर वही पुराना है

तकनीक चाहे 5G से 10G पर पहुँच जाए और दुनिया में कितना भी बड़ा AI आ जाए, लेकिन 'हनीट्रैप' वाला प्राचीन सॉफ्टवेयर आज भी बिना किसी अपडेट के सौ फीसदी सफलता के साथ काम कर रहा है!

क्योंकि हनीट्रैप तकनीक पर नहीं, इंसान की कमजोरी पर हमला करता है -

- अकेलापन
- तारीफ की भूख
- गुप्त रिश्ते की उत्तेजना
- लालच और डर

जेन्सन हुआंग के पास पैसा था, पावर था, सिक्योरिटी थी। फिर भी दिल के आगे सिस्टम फेल हो गया।

तो गांव के युवक, छात्र, नौकरीपेशा, व्यापारी और रिटायर्ड अफसर - कोई भी इससे अछूता नहीं है।

4. जनहित लेख – पिंकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता की तरफ से साइबर सुरक्षा सलाह

प्रिय पाठकों,

मैं पिंकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता, आप सबसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ -

हनीट्रैप सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, यह आपके घर तक पहुंच चुका है।

आज हर दिन भारत में सैकड़ों लोग सेक्सटॉर्शन, वीडियो कॉल ब्लैकमेल, फर्जी लव-प्रोफाइल और हनीट्रैप का शिकार हो रहे हैं।

ये 10 नियम अपनी जान की तरह याद रखिए –

1. अनजान प्रोफाइल = खतराः फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अनजान लड़की / लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार मत कीजिए। सुंदर फोटो अक्सर चोरी की होती है।

2. वीडियो कॉल से बचें: रात में आए अनजान वीडियो कॉल को कभी न उठाएं। एक बार चेहरा रिकॉर्ड हो गया, तो ब्लैकमेल शुरू।

3. प्राइवेट फोटो / वीडियो कभी न भेजें: एक बार भेजा, तो वह कभी आपका नहीं रहा। डिलीट करने से भी सर्वर से नहीं मिटता।

4. पैसा मांगते ही समझ जाइए - यह जाल है: पहले प्यार, फिर वीडियो, फिर धमकी - पैसा भेजो वरना वीडियो वायरल कर देंगे। यही सेक्सटॉर्शन का फॉर्मूला है।

5. डरें नहीं, ब्लॉक और रिपोर्ट करें: ब्लैकमेलर को पैसा देने से वह रुकता नहीं, और मांगता है। तुरंत ब्लॉक करें, चैट का स्क्रीनशॉट रखें, पुलिस को बताएं।

6. परिवार से छिपाएं नहीं: शर्म के कारण लोग चुप रहते हैं और लुटते रहते हैं। परिवार, दोस्त या काउंसलर को बताना ही बचाव है।

7. OTP, बैंक डिटेल, ऑफिस सीक्रेट कभी शेयर न करें: चाहे वह कितनी भी मीठी बातें करे। प्यार में ऑफिस का पासवर्ड नहीं दिया जाता।

8. AI डीपफेक से सावधान: आज AI से किसी का भी नकली अश्लील वीडियो बनाया जा सकता है। इसलिए किसी को अपनी साफ फोटो भी अंधाधुंध न भेजें।

9. बच्चों और बुजुर्गों को समझाएं: बच्चे गेमिंग और सोशल मीडिया पर, बुजुर्ग अकेलेपन में सबसे ज्यादा शिकार होते हैं।

10. शिकायत कहां करें: **तुरंत 1930 पर कॉल करें या** cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। नजदीकी साइबर थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराएं।

5. संपादकीय टिप्पणी - कलम और कीबोर्ड, दोनों को संभालो परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक का स्पष्ट मत है -

जेन्सन हुआंग की घटना हमें सिखाती है कि बड़ा पद, बड़ा पैसा, बड़ी तकनीक - कोई भी इंसान को हनीट्रैप से नहीं बचा सकता, सिर्फ समझदारी बचा सकती है।

अगर Nvidia के CEO फँस सकते हैं, तो हम और आप तो बहुत छोटे हैं।

इसलिए –

- दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए
- अजनबी के प्यार में नहीं, अपने परिवार के सम्मान में जीजिए
- एक वीडियो कॉल के लिए अपनी इज्जत, पैसा और करियर दांव पर मत लगाइए

AI कितना भी एडवांस हो जाए, इंसान की सावधानी ही सबसे बड़ा एंटीवायरस है।

हनीट्रैप से बचिए, साइबर सुरक्षित रहिए, परिवार को सुरक्षित रखिए।

– पिंकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता

– संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक

लोकतंत्र बचेगा, तो ही बचेगा लोक!

(आलेख : संजय पराते)

मध्यप्रदेश के खातेगांव मे एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हो गई। हत्यारे शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोग हैं। कहा जाता है कि इस शराब माफिया का कनेक्शन गुजरात से जुड़ा है। वहां भी भाजपा की ही सरकार है। इसका अर्थ है कि माफिया गिरोह भाजपा शासित राज्यों में धड़ल्ले से पनप रहे है। इधर जुर्म करो, तो उधर भाग जाओ। उधर करो, तो इधर भाग आओ। दोनों जगह बाप का ही राज है। पूरा-पूरा संरक्षण मिलेगा, शर्त यही है कि लूट का एक हिस्सा आकाओं तक पहुंचना चाहिए। जनता पर दमन चक्र के बाद अब भाजपा राज प्रशासन के अधिकारियों को भी सुरक्षा देने में नाकाम है। पूरे देश की यही हालत है। अपराधियों के लिए न कानून का डर बचा है, न व्यवस्था की लगाम। जब राजनीति का अपराधीकरण होता है, तो ऐसा ही होता है। भाजपा शासित राज्यों में जो हो रहा है, वह इस अव्यवस्था का चरम है।

माफिया एक नहीं, अनेक हैं। शराब माफिया है, रेत माफिया है, खनन माफिया है, पशु माफिया है, भूमि माफिया है, अनाज माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, पानी माफिया है, किडनी माफिया है, दवा माफिया है, वन माफिया है, शिक्षा माफिया है, भर्ती माफिया है, चुनाव माफिया है, प्रॉपर्टी माफिया है, और न जाने कितने-कितने माफिया है। भाजपा-संघ राज का हर विभाग और हर मंत्रालय माफिया है। अब हमारा देश माफिया प्रधान देश है। पुरातन हिंदुस्तान को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं मालूम। लेकिन हमारे मोदीजी को इसका श्रेय जरूर जाता है कि उनके राज में विकसित होता भारत आज देश-विदेश में 'माफिया की चिड़िया' के नाम से जरूर जाना जाता है। जहां हाथ डालो, वहीं माफिया। सबके अपने धत्कर्म और धंधे हैं। इस धंधे में मुनाफा ही मुनाफा है, घाटे का कोई सवाल ही नहीं।

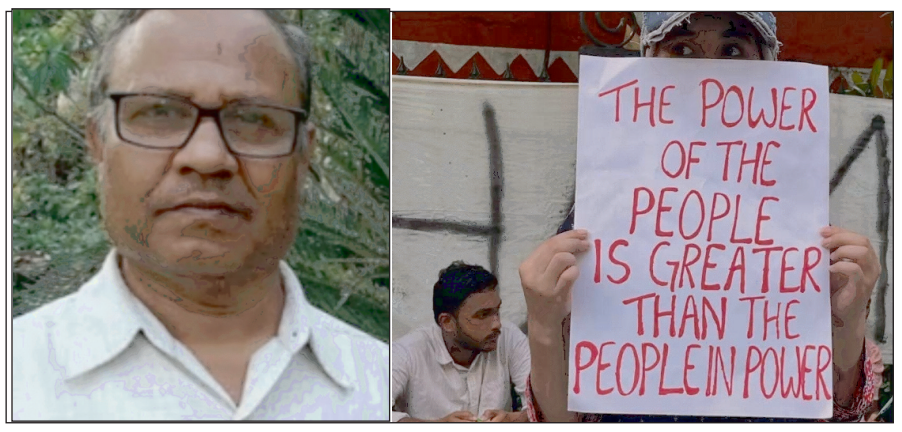
मोदी सरकार घाटे में चलने वाली सरकार है। इससे उबरने के लिए उसने विनिवेश मंत्रालय बना लिया है। इसका काम है खोज-खोजकर सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को औने-पौने दामों पर बेचना, ताकि किसी तरह बजट घाटे की भरपाई हो सके। यह श्रमसाध्य काम है। जनता का विरोध भी जबरदस्त है। जब देखो तब, जनता सड़कों पर उतर आती है। कानून-व्यवस्था का बखेड़ा खड़ा हो जाता है। सरकार का सबसे बड़ा काम कानून-व्यवस्था को बनाए रखना है, वरना सरकार नाम की किसी चिड़िया को पूछेगा कौन!

सो, सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहीं लोगों को गालियां देनी पड़ती है और वह भी शुद्ध मां-बहनों वाली, कहीं डराना-धमकाना पड़ता है, कहीं लाठियां चलानी पड़ती है और कहीं आंसू गैस के गोले, तो कहीं सच्ची-मुच्ची की गोलियां भी चलानी पड़ती है, कहीं-कहीं तो यौन हिंसा भी करनी पड़ती है। और यदि दिल्ली जैसी जगह हो, विपक्ष में जेन ज़ी हो और तड़ीपार का इशारा हो, तो एक साथ ये सब कुछ करना पड़ता है। चिल्लाता रहे सुप्रीम कोर्ट, जितना चिल्लाना है, जो करना है, सो करे, लेकिन आखिर सुप्रीम तो मोदी-शाह-भागवत की सरकार ही होगी। सुप्रीम कोर्ट आखिर में वही करेगा, जो चुनाव आयोग के मामले में कर रहा है। जनता के तर्कों से सहमति जताएगा और फैसला आयोग के पक्ष में देगा। बारी-बारी से सबको खुश करना ही निष्पक्षता का प्रमाण है।

इसी से पता चलता है कि सरकार काम कर रही है। सबका काम बंटा हुआ है। माफिया शराब बेचे, रेत बेचे, अनाज बेचे, पानी बेचे, जमीन बेचे, नौकरियां बेचे, पूरी धरती को खोद-खोदकर खनिज और आदिवासियों को बेचे। सरकार का काम देश बेचना है। देश बेचने का काम तो सरकार ही कर सकती है, आखिर कोई ऐरा-गैरा नत्थू- खैरा यह काम तो कर नहीं सकता। जो काम साधारण जनता नहीं कर सकती, उस काम को सरकार को ही करना पड़ेगा।

लेकिन देश बेचने के पहले सरकार बेचनी पड़ती है। सरकार बेचने के पहले जमीर बेचना पड़ता है। जमीर बेचने के पहले खुद को बेचना पड़ता है और खुद को बेचने के लिए एप्स्टीन की गोद में बैठना पड़ता है। पूरी मोदी सरकार एप्स्टीन की गोद में बैठकर उसकी फाइलों में पसरी हुई है। देर केवल ट्रंप के चद्दर उठाने की है।

ट्रंप भी कोई मूर्ख नहीं है कि यों ही चद्दर उठा दे। वह साम्राज्यवाद का प्रतिनिधि है। उसे देश खरीदना है, लगभग मुफ्त में खरीदना है। वह केवल चद्दर उठाने की धमकी देता है और कभी इस चीज को, तो कभी उस चीज को मुफ्त में उठा लेता है। वह धमकी देता है और चड्डी खिसकने के डर से हमारी सरकार रूस का तेल खरीदने से मना कर देती है, व्यापार समझौता के लिए तैयार बैठी है सजी-सजाई दुल्हन की तरह। ट्रंप का एक आदमी सरकार को नकारकर सीधे मुंबई में उतरता है और हमारा विदेश मंत्री साष्टांग दंडवत होने वहीं पहुंच जाता है। अब अमेरिका का कोई भी मंत्री संत्री हमारे प्रधानमंत्री से बड़ा है। अमेरिकी मंत्री सीधे अंबानी के साथ तेल शोधन के व्यापार की बात कर रहा है और हमारा पेट्रोलियम मंत्री अपनी चड्डी का नाड़ा बांधने में व्यस्त है। इसी मंत्री को फिर से



मध्यप्रदेश से राज्यसभा में भेजने की तैयारी हो रही है। शायद वह अब पूरी सरकार को नाड़ा बांधना सिखाएगा। राष्ट्रीय समलैंगिकता के इस संघी काल में नाड़ा बांधना सबसे बड़ी कला है। जिसे यह कला आती है, मानो उसने पूरी सरकार को बांध लिया। अब इस सरकार को योग दिवस के बाद 'नाड़ा बांधो दिवस' भी मनाना चाहिए।

अब इस सरकार को माफिया मंत्रालय भी बना ही लेना चाहिए। देश बेचने का जनता विरोध करती है। धनवानों पर कर लगाने का धन-पशु विरोध करते हैं। लेकिन माफिया-कर लगाने का कोई माफिया विरोध नहीं करेगा। खुल्लम खुल्ला देश की संपत्ति को लूटो और थोड़ा टैक्स भर दो। लूट को कानून का दर्जा भी मिल जाएगा और नरेंद्र कुमार सिंह, धर्मेंद्र चौहान, नरेंद्र शर्मा, सूबेदार सिंह कुशवाह, प्रसन्न सिंह बघेल, महेंद्र बागड़ी, हरिकेश गुर्जर, दिलीप पुरी-जैसे अधिकारियों, कर्मचारियों (ये केवल मध्यप्रदेश के ही नाम हैं।) की जान भी बच जाएगी। न माफिया को पकड़ने का झंझट, न उन्हें सजा दिलाने की कवायद। जो कुछ लूटमार होगी, कानूनी होगी, एक नंबर का टंच लूट-माल। सरकार का खजाना बढ़ेगा, नेताओं की बरकत होगी और विकसित होता भारत एक कदम और आगे बढ़ाएगा। सरकार भले कदमताल करती रहे, लेकिन देश के कदम जरूर आगे बढ़ना चाहिए।

यही सबसे बड़ी समस्या है। देश आगे कदम बढ़ाना चाहता है और विपक्ष उसका कॉलर पकड़कर पीछे खींच रहा है। देश को पीछे खींचना अराजकता है। ऐसी अराजकता से लोकतंत्र को खतरा पैदा होता है। संघी गिरोह के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि देश में लोकतंत्र को बचाए या उसे आगे बढ़ाएं! फिलहाल उसने लोकतंत्र को बचाने की ठानी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए वह 2047 तक देश को आगे बढ़ाने के काम को मुल्तवी कर सकता है। अब वह भी लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष की अराजकता के खिलाफ सड़कों को पैदल-पैदल नाप रहा है। गृहमंत्री अमित शाह स्वयं इन पैदल यात्रियों की अगुआई कर रहे हैं, वह भी कंधे पर तिरंगा लेकर। जिस तिरंगे को संघी गिरोह ने हमेशा अशुभ बताया, उसी तिरंगे को ढोने के लिए गृहमंत्री मजबूर है। दिल भगवा है, लेकिन हाथ में तिरंगा है। लोकतंत्र बचवाने के लिए पप्पू और कितने करतब करवाएगा, पता नहीं! पिछले 12 सालों में जिस गृहमंत्री के पांव पर सड़क की धूल का एक कण तक चिपका नहीं था, लेकिन हाय रे ये दिन!, वही गृहमंत्री पैदल सड़कों पर घूम रहा है। क्यों, लोकतंत्र को बचाने के लिए ही न!!

लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी-शाह-भागवत को बचाना जरूरी है। इस तिकड़ी को बचाने के लिए ज्ञानेश कुमार को बचाना जरूरी है। यह तो ज्ञानेश कुमार ही है, जिनके कंधों पर संघ-भाजपा ने लोकतंत्र को टिकाकर रखा है, वर्ना किसी के कंधों में कहां यह दम था। ये ज्ञानू ही है, जिसने साढ़े तेरह करोड़ घुसपैठियों को निकाल बाहर करके लोकतंत्र को जीवनदान दिया है। वर्ना इन घुसपैठियों और देशद्रोहियों ने तो लोकतंत्र की जान ही निकाल दी थी। तो जिस ज्ञानू ने लोकतंत्र को जीवन दान दिया, उसके प्राण बचाने का पुनीत काम भी संघी गिरोह को करना ही पड़ेगा। चाहे उसके लिए जेन जी पर लाठियां चलानी पड़ें या उसके धत्कर्मों के लिए आजीवन उन्मुक्ति का कानून बनाना पड़े। ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देगा, तो नहीं ही देगा, और न ही इस मामले में संसद में ही कोई बहस होगी।

भाजपा राज में इस्तीफे नहीं होते हैं। इस्तीफों का न होना ही लोकतंत्र की रक्षा की गारंटी है। इस सरकार से एक इस्तीफा क्या हुआ, विपक्ष का हौसला इतना बढ़ गया है कि अब ये पूरी सरकार का ही इस्तीफा लेने के लिए तैयार बैठे हैं, रेजीम चेंज का नारा लगा रहे हैं। यह लोकतंत्र के कमजोर होने की निशानी है। सरकार का इस्तीफा मांगना लोकतंत्र का इस्तीफा मांगना है। लोकतंत्र के नाम पर इंडिया समूह पूरे देश को बरगला रहा है। यही तो अराजकता है।

भाजपा बराबर देश बराबर लोकतंत्र -- यही है संघ-भाजपा का मूलमंत्र। लेकिन इंडिया समूह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में पप्पूओं का लोकतंत्र अलग है और तड़ीपारों का लोकतंत्र अलग। पप्पूओं का लोकतंत्र इस देश के लोक के लिए तंत्र चाहता है, इसलिए वह संवैधानिक तरीके से, दिल्ली के रामलीला मैदान में लोक के प्रदर्शन के जरिए, रेजीम चेंज चाहता है। संघ-भाजपा का लोकतंत्र अपने तंत्र के लिए लोक चाहता है, इसलिए वह 13-14 करोड़ लोगों को उनके मताधिकार से बाहर कर देता है और ऐसे धत्कर्म के लिए सड़क पर उतरकर अराजकता के खिलाफ लड़ने का नाटक करता है। एक ऐसा नाटक, जिसका लोक से कोई लेना-देना नहीं है और जिसका एकमात्र मकसद अपने फासीवादी तंत्र को लोक-प्रकोप से बचाना है। उसकी जबान उल्टी है, इसलिए फासीवाद को वह लोकतंत्र कहता है। इसलिए लोक के कंधे पर रखे झंडे को वह निशाना बनाता है और बच्चियों-महिलाओं के साथ यौन हिंसा करता है और इसे लोकतंत्र की रक्षा बताता है। दरअसल, संघी गिरोह देश में माफिया राज चाहता है, जिसमें राम के नाम पर लूटने की पूरी छूट हो। पिछले 12 सालों से वह लोकतंत्र के नाम पर लोक-विनाश की राजनीति कर रहा है और इस अराजकता को ही वह सुराज और रामराज्य बताता है।

लेकिन लोकतंत्र बचेगा, तो ही लोक बचेगा। भारत का लोकतंत्र बाबा साहेब के संविधान में सांस लेता है। इसलिए, इंडिया समूह के सभी पप्पू लोकतंत्र को बचाने की ही नहीं, लोक को बचाने की भी लड़ाई लड़ रहे है। फासीवादी अराजकता के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर सड़कों पर भी, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। संघी गिरोह में छप्पन इंची सन्नाटा छाया हुआ है। सभी अपना नाड़ा बांधने में व्यस्त हैं। रामलीला के जन-सागर को वे उस नाड़े की डोर से बांधना चाहते हैं, जो एप्स्टीन की फाइलों में उलझी हुई है। पप्पूओं की अगुआई में इस देश का लोक अपने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि लोकतंत्र बचेगा, तो ही उसका अस्तित्व बचेगा।

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।)

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - खूंटी से विशेष रिपोर्ट

लतरातू जलाशय में मत्स्य बीज का संचयन - मछली उत्पादन बढ़ेगा, मत्स्य पालकों की आजीविका होगी सुदृढ़



तालाब-जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत 1 लाख 30 हजार मत्स्य बीज छोड़े गए

रोहू, कतला, मृगल और ग्रास कार्प से गुलजार होगा जलाशय

- रिपोर्ट : दीपक कुमार घोष, परिवहन विशेष समाचार पत्र, खूंटी

मुख्य तथ्य - एक नज़र में

- स्थानः लतरातू जलाशय, खूंटी
- योजनाः तालाब जलाशय मत्स्य विकास योजना
- कुल मत्स्य बीजः 1 लाख 30 हजार
- प्रजातियांः भारतीय मेजर कार्प - रोहू, कतला, मृगल + ग्रास कार्प
- उद्देश्यः मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, स्थानीय मत्स्य पालकों की आजीविका सुदृढ़ करना
- मुख्य उपस्थितिः जिला मत्स्य पदाधिकारी रौशन कुकर समेत अन्य अधिकारी, मत्स्य पालक और स्थानीय लोग

1. लतरातू जलाशय में उतरा जीवन तालाब जलाशय मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत लतरातू जलाशय में कुल 1 लाख 30 हजार मत्स्य बीज का संचयन किया गया।

इस दौरान भारतीय मेजर कार्प प्रजाति के रोहू, कतला एवं मृगल तथा ग्रास कार्प के मत्स्य बीज जलाशय में छोड़े गए।

जैसे ही टब से छोटे-छोटे मत्स्य बीज जल में छोड़े गए, जलाशय के किनारे खड़े मत्स्य पालकों के चेहरों पर उम्मीद की चमक आ गई। यही बीज आने वाले महीनों में जलाशय को मछलियों से भर देंगे।

2. क्यों चुनी गई यही प्रजातियां?

- रोहूः स्वाद में बेहतरीन, बाजार में सबसे ज्यादा मांग
- कतलाः तेजी से बढ़ने वाली, जलाशय की ऊपरी सतह पर रहने वाली प्रजाति
- मृगलः तलहटी में रहने वाली, जलाशय की सफाई में भी सहायक
- ग्रास कार्पः घास-जलीय वनस्पति खाती है, जलाशय का संतुलन बनाए रखती है

चारों प्रजातियों का एक साथ संचयन जलाशय के हर स्तर का सही उपयोग करेगा। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और जलाशय का पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहेगा।

3. उद्देश्य - सिर्फ मछली नहीं, आजीविका है इस पहल का उद्देश्य जलाशय में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय मत्स्य पालकों की आजीविका को सुदृढ़ करना है।

जलाशय में मत्स्य बीज संचयन से भविष्य में मछली उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को रोजगार एवं आय के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

जब उत्पादन बढ़ेगा, तो -

- स्थानीय बाजार में ताजी मछली सस्ती और आसानी से मिलेगी
- मत्स्य पालकों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा
- महिलाओं और युवाओं को भी मत्स्य पालन, बिक्री और जाल-मरम्मत में रोजगार मिलेगा
- खूंटी जिले की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी

4. जिला मत्स्य पदाधिकारी की उपस्थिति में हुआ संचयन इस दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी रौशन कुकर समेत अन्य उपस्थित थे।

उन्होंने मत्स्य पालकों को सही देखभाल, जाल के नियम, प्रतिबंधित अवधि और जलाशय की स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि मत्स्य बीज डालना ही काफी नहीं है, उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। छोटे बीजों को समय पर पकड़ना, अवैध शिकार रोकना और जलाशय को प्रदूषण से बचाना सबकी जिम्मेदारी है।

5. संपादकीय टिप्पणी - जल है तो जीवन है, मछली है तो रोजगार है परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक का स्पष्ट मत है -

लतरातू जैसे जलाशय सिर्फ पानी के स्रोत नहीं हैं, वे हजारों परिवारों की रसोई और रोजगार हैं।

सरकार की यह पहल सराहनीय है, लेकिन अब जरूरत है कि -

1. मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण और जाल-नौका की सहायता मिले
2. जलाशय में कचरा और रसायन न डाला जाए
3. अवैध मछली पकड़ने पर सख्ती हो
4. मत्स्य पालकों को बाजार और कोल्ड स्टोरेज से जोड़ा जाए

अगर जलाशय बचेगा, तो मछली बचेगी। अगर मछली बचेगी, तो मत्स्य पालक का परिवार बचेगा।

लतरातू जलाशय में आज डाला गया हर बीज, कल किसी परिवार की खुशहाली बनेगा।

– संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html I
tolwaindia@gmail.com,
tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार: साइबर अपराधियों के प्रति सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, जमानत याचिका खारिज



पिंकी कुंडू

6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध के विरुद्ध एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि साइबर अपराधियों के लिए जेल के अलावा कोई स्थान नहीं है और सभ्य समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं हो सकती।

साइबर धोखाधड़ी के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "साइबर अपराधियों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है।" पीठ ने आरोपी की दीपावली के बाद आत्मसमर्पण करने की प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि साइबर अपराधों को किसी भी परिस्थिति में हल्के में नहीं लिया जाएगा। पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने आरोपी के वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपी स्वेच्छा से आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो पुलिस कानून के अनुसार उसे हिरासत में लेने की कार्रवाई करेगी।

साइबर अपराधों के प्रति न्यायपालिका के अडिग और कठोर रुख को दर्शाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने साइबर धोखाधड़ी के एक आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया तथा साइबर अपराधियों द्वारा उत्पन्न गंभीर खतरे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि साइबर अपराधियों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है और उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए। जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने आरोपी की दीपावली के बाद आत्मसमर्पण करने की मांग भी अस्वीकार कर दी।

न्यायालय ने साइबर अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी दिखाने से इंकार कर दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि साइबर अपराधियों के प्रति न्यायालय को कोई सहानुभूति नहीं है और ऐसे अपराधी समाज की सुरक्षा, विश्वास एवं आर्थिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं। पीठ ने यह भी कहा कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों में दोषसिद्ध व्यक्ति भी कुछ परिस्थितियों में पुनर्वास के पात्र हो सकते हैं, किन्तु साइबर अपराधी अपनी गतिविधियों से व्यापक स्तर पर होने वाले नुकसान के कारण ऐसी उदारता के पात्र नहीं हैं।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने भी स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि आरोपी आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसे गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगी।

ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब सुप्रीम कोर्ट देश में साइबर अपराधों, विशेषकर तथाकथित ₹डिजिटल अरेस्ट₹ ठगी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों को और मजबूत करने पर जोर दे रहा है। इसी पीठ ने हाल ही में अधिकारियों को साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम तथा पीड़ितों को समयबद्ध धनवापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) और संस्थागत तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए थे। न्यायालय ने साइबर ठगों के विरुद्ध जीरो एफआईआर (Zero FIR) प्रणाली के माध्यम से आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ करने का भी निर्देश दिया था।

पूर्ववर्ती सुनवाई के दौरान न्यायालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार किया। रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज डिजिटल अरेस्ट संबंधी शिकायतों की संख्या वर्ष 2024 में 1,23,672 से घटकर वर्ष 2025 में 58,249 रह गई। 30 जून 2026 तक ऐसी 16,377 शिकायतें दर्ज की गईं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि e-Zero FIR तंत्र 19 राज्यों में लागू हो चुका है, जबकि 14 राज्यों ने अपने राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्रों को अधिसूचित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, साइबर अपराधों की रोकथाम तथा उपयोगकर्ता सत्यापन प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु दूरसंचार क्षेत्र में विभिन्न नियामकीय उपायों के क्रियान्वयन में भी प्रगति हुई है।



प्रमुख तथ्य

✓ साइबर धोखाधड़ी के एक आरोपी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।

✓ आरोपी की दीपावली के बाद आत्मसमर्पण करने की मांग भी अस्वीकार कर दी गई।

✓ न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराधियों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है और उन्हें जेल में ही रहना चाहिए।

✓ सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट ठगी के विरुद्ध सख्त कानूनी तथा संस्थागत उपायों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

✓ I4C के आंकड़ों में डिजिटल अरेस्ट शिकायतों में गिरावट तथा e-Zero FIR एवं राज्य साइबर अपराध समन्वय

साइबर धोखाधड़ी के आरोपी को राहत देने से इंकार कर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में साइबर अपराधों को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है। यह निर्णय साइबर अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि उन्हें कठोर न्यायिक जांच, सख्त कानूनी कार्रवाई और शून्य सहानुभूति का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, यह आदेश कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भी एक स्पष्ट संकेत है कि साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे से निपटने हेतु सक्रिय, समन्वित और प्रौद्योगिकी-संचालित कार्रवाई को और अधिक मजबूत किया जाए।

झारखंड में सीआईएसएफ ने 13.845 टन अवैध कोयला किया जब्त

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड



रांची, सीसीएल करगली क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार और परिवहन के खिलाफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने कार्रवाई करते हुए कुल 13.845 टन कोयला जब्त किया है. इसमें करीब छह टन कोयला लदा एक पिकअप वाहन भी शामिल है. जवानों को देखकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. इसके अलावा तारमी कोल डंप और अमलो पांच नंबर पीपल धौरा बस्ती में छापेमारी कर अलग-अलग स्थानों से 7.845 टन अवैध रूप से भंडारित कोयला बरामद किया ।प्राप्त सूचना के आधार पर सीआइएसएफ यूनिट सीसीएल करगली के कमांडेंट राज प्रताप सिंह के निर्देश पर प्रभारी परिचालन के नेतृत्व में एम्बुश टीम गठित की गयी थी. टीम को अमलो चेकपोस्ट से दीनदयाल चौक के बीच तैनात किया गया था.

इसी दौरान जवानों ने एक पिकअप वाहन को आते देखा. सीआइएसएफ को देखकर चालक मुख्य सड़क पर वाहन संख्या जेएच 03के 6043 छोड़कर फरार हो गया. जवानों ने वाहन की तलाशी ली, तो उसमें करीब छह टन कोयला लदा मिला. वाहन मालिक की पहचान करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका. इसके बाद पिकअप वाहन और कोयले को जब्त कर लिया गया.

सीआइएसएफ की टीम ने तारमी कोल डंप क्षेत्र में छापेमारी कर विभिन्न स्थानों से 1.455 टन अवैध रूप से भंडारित कोयला बरामद किया. वहीं, अमलो पांच नंबर पीपल धौरा बस्ती में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 6.390 टन कोयला जब्त किया गया.

इस तरह पिकअप वाहन से मिले करीब छह टन और दोनों स्थानों पर छापेमारी में बरामद 7.845 टन कोयले को मिलाकर कुल जब्ती 13.845 टन हुई हो

सीआइएसएफ के अनुसार, जब्त कोयले को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए सीसीएल प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया गया है. मामले में खनिज एवं खनिज विकास एवं विनियमन (एमएमडीआर) अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. सीआइएसएफ की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध कोयला परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा ।

इंटर की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट सख्त, विधिक सेवा प्राधिकार ने दिये निर्देश

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय इंटर की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सह झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची को पीड़िता और उसके परिवार को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. न्यायपालिका की पहल के बाद डालसा ने पीड़िता को कानूनी सहायता, सुरक्षा और मुआवजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है.

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त सह डालसा अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा ने पीड़िता को सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा. इसके तहत डालसा सचिव राकेश रौशन ने दो पारा लीगल वॉलेंटियर पूनम देवी और पुष्पलता देवी की विशेष टीम बनाई



है. यह टीम पीड़िता और उसके परिवार के संपर्क में रहकर उनकी जरूरतों के मुताबिक सहायता उपलब्ध कराएगी.

डालसा सचिव ने खुद पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि न्याय की लड़ाई में परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. प्राधिकार की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ जरूरी सुरक्षा संबंधी सहयोग भी दिया जाएगा. पीड़िता को नियमानुसार मुआवजा दिलाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई गई है. इस दिशा में आगे की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है.

इस मामले में पीड़िता को कानूनी स्तर पर मजबूती देने के लिए डालसा ने अधिवक्ता ममता श्रीवास्तव को प्रो-बोनो वकील के रूप में नियुक्त किया है. वह बिना किसी शुल्क के पीड़िता की ओर से कानूनी पैरवी करेंगी. इसके अलावा रातू थाना क्षेत्र में एक पीएलवी को सपोर्ट पर्सन की जिम्मेदारी दी गई है. इसका उद्देश्य पीड़िता और उसके परिवार को जरूरत के समय लगातार सहयोग उपलब्ध कराना है. दूसरी ओर, मामले की पुलिस जांच पर भी डालसा की नजर है. सचिव राकेश रौशन ने रातू थाना प्रभारी से बातचीत कर जांच की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने पुलिस से मामले में निष्पक्षता बरतने और त्वरित कार्रवाई करने को कहा है.

बता दें कि 7 नवंबर को रातू थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी. 18 वर्षीय इंटर की छात्रा शाम को ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात युवकों ने उसे घेर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की. घटना के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश देखा जा रहा है. वहीं, झारखंड हाईकोर्ट और झालसा के हस्तक्षेप के बाद डालसा ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए तमाम कवायद शुरू कर दी है.



घने कोहरे में सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए पूर्व तट रेलवे का तीन महीने का विशेष सुरक्षा अभियान शुरू

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: कोहरे और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व तट रेलवे (ईस्ट कोस्ट रेलवे) ने 10 नवंबर 2026 से 9 फरवरी 2027 तक तीन महीने का विशेष सुरक्षा अभियान शुरू किया है। यह अभियान खुर्दा रोड, संबलपुर और रायगढ़ा रेल मंडलों के अंतर्गत सभी विभागों के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

इस अभियान के तहत रेलवे स्टेशनों पर व्यापक तैयारियों, चलती ट्रेनों की सुरक्षा, सिग्नलों की दृश्यता और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्टेशन प्रबंधकों को पर्याप्त संख्या में डेटोनेटर उपलब्ध रखने तथा कोहरे के दौरान सिग्नल संबंधी जानकारी देने के लिए तैनात कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। सिग्नलों और निर्धारित दृश्यता परीक्षण उपकरणों की नियमित जांच की जाएगी। सिग्नलों की दृश्यता प्रभावित होने की स्थिति में तत्काल संबंधित कंट्रोल कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य किया गया है।

कम दृश्यता के दौरान लोको पायलटों को सिग्नलों की पहचान करने में सहायता के लिए क्रू लॉबी में पर्याप्त संख्या में फॉग सेफ डिवाइस (FSD) उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, सिग्नलों, लेवल क्रॉसिंग गेटों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर दृश्यता बढ़ाने के लिए रेट्रो-रिफ्लेक्टिव संकेतक, चमकीली सिग्नल पट्टियों और दृश्यता बोर्डों के रखरखाव पर जोर दिया जाएगा। लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों को अधिकतम सतर्कता बरतने तथा दृश्यता की स्थिति के अनुसार ट्रेन की गति नियंत्रित करने की सलाह दी गई है। कोहरे के दौरान ट्रेनों की अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। हालांकि, यह गति लोको पायलट के विवेक और निर्धारित सिग्नल संकेतों पर निर्भर करेगी। यात्रा के दौरान यदि फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध नहीं हो या खराब हो जाए, तो ट्रेन की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम रखी जाएगी। साथ ही, आसपास के गेटमैन और सड़क उपयोगकर्ताओं को ट्रेन के आने की सूचना देने के लिए लोको पायलटों को बार-बार सीटी बजाने की सलाह दी गई है। ट्रेन मैनेजरों को कम दृश्यता की स्थिति में ट्रेन के अंतिम डिब्बे में लगे लाल टेल लैंप को जलाए रखने तथा निर्धारित गति प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।



कोहरे के मौसम में सुरक्षा सावधानियों और परिचालन प्रक्रियाओं के संबंध में रेलवे कर्मचारियों को नियमित रूप से जागरूक भी किया जाएगा। इंजीनियरिंग विभाग द्वारा रेल पटरियों में दरार आने की आशंका वाले स्थानों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में शीतकालीन गश्त की जाएगी। पेड़ों की डालियों की छंटाई, झाड़ियों की सफाई और रेलवे ट्रैक से संबंधित बुनियादी ढांचे के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं, सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारी सिग्नल लाइटों की उचित दृश्यता और कार्यक्षमता, सिग्नल ग्लास की सफाई तथा लेवल क्रॉसिंग पर चमकीली सिग्नल व्यवस्था के रखरखाव को सुनिश्चित करेंगे।

इस विशेष अभियान के माध्यम से पूर्व तट रेलवे कोहरे और प्रतिकूल मौसम के दौरान ट्रेन परिचालन से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय अपना रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023